विनिमय कोष

मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद वांग्मय से एक संकलन

Version 1

२ मई २०२०

श्रद्धेय श्री ए. नागराज जी द्वारा प्रणेत मध्यस्थ दर्शन (सह अस्तित्ववाद) में से शब्दों के संदर्भों के खोजने के क्रम में यह "विनिमय कोष" शब्द के संदर्भों का संकलन है। यदि यहाँ लिखे हुए और मध्यस्थ दर्शन के मूल वाङ्ग्मय में कोई अंतर मिले तो मूल वाङ्ग्मय को ही सही माना जाए। यहाँ लिखे हुए में त्रुटियों के सुधार और इसको और उपयोगी बनाने हेतु भागीदारी करने के लिए रोशनी साहू (sahuroshani@gmail.com) से संपर्क करें।

Version 0.1	Draft version created	Roshani Sahu, 02/05/2020

विनिमय कोष की परिभाषा

- **विनिमय कोष –** परिवारमूलक स्वराज्य व्यवस्था के अंगभूत कार्यरत विनिमय कोष जिसमें लाभ हानिमुक्त श्रम मूल्य के आधार पर विनिमय करने की व्यवस्था।
- **विनिमय –** लाभ हानि मुक्त विधि से उपयोगिता मूल्य के आधार पर श्रम मूल्य का आदान– प्रदान।
  – श्रम मूल्य के आधार पर वस्तुओं का आदान– प्रदान।
- **विनिमय विधि –** श्रम नियोजन श्रम मूल्यों को उपयोगिता के आधार पर मूल्यांकित वस्तु का हस्तांतरण वस्तु विनिमय। **(पृष्ठ नंबर: 172)**

(परिभाषा संहिता, संस्करण : तृतीय 2012, मुद्रण: 14 जनवरी 2016)

अनुक्रमणिका

स्वास्थ्य और इससे संबन्धित शब्द को लेकर मध्यस्थ दर्शन वांग्मय में आये सन्दर्भों को निम्न क्रम से संकलित किया गया है.

1.	मानव व्यवहार दर्शन	४
2.	मानव कर्म दर्शन	--
3.	मानव अभ्यास दर्शन	--
4.	मानव अनुभव दर्शन	--
5.	समाधानात्मक भौतिकवाद	६
6.	व्यवहारात्मक जनवाद	८
7.	अनुभवात्मक अध्यात्मवाद	१२
8.	व्यवहारवादी समाजशास्त्र	१३
9.	आवर्तनशील अर्थशास्त्र	१६
10.	मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान	२९
11.	मानवीय संविधान सूत्र व्याख्या	३०
12.	जीवन विद्या – एक परिचय	४२
13.	विकल्प एवं अध्ययन बिन्दु	४३
14.	मानवीय आचरण सूत्र	४४
15.	संवाद – भाग १	४५
16.	संवाद – भाग २	४६

मानव व्यवहार दर्शन

(संस्करण: 2011, मुद्रण: 2015)

- जागृत मानव परंपरा में राज्य का स्वरूप अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र अध्ययन से और आचरण से व्याख्या होने के आधार पर विधि को पहचानने के मुख्य रूप से पाँच मुद्दे पाए गए हैं। (१) मानवीय शिक्षा संस्कार, (२) न्याय–सुरक्षा, (३) उत्पादन कार्य, (४) **विनिमय कोष**, (५) स्वास्थ्य–संयम के रूप में गण्य हैं।

  राज्य प्रक्रिया में उक्त पाँचों व्यवस्थाएं सार्वभौमिकता के अर्थ में ही सार्थक होना पाया जाता है। मानवीय शिक्षा–संस्कार की सफलता अर्थ–बोध होने के रूप में है। न्याय–सुरक्षा की सफलता संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन पूर्वक उभय–तृप्ति के रूप में सार्थक होना पाया जाता है। उत्पादन–कार्य हर परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में, समृद्धि के अर्थ में सार्थक होना पाया जाता है। **विनिमय–कोष** श्रम–मूल्य के पहचान सहित, श्रम विनिमय पद्धति से सार्थक होता है। और स्वास्थ्य–संयम मानव–परंपरा में जीवन जागृति को प्रमाणित करने योग्य शरीर की स्थिति–गति के रूप में सार्थक होता है।

  यह सब मानव सहज जागृति के अक्षुण्णता का द्योतक है अथवा सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज और उसकी अक्षुण्णता का द्योतक है। यही राज्य वैभव का स्वरूप है। इस विधि से हर परिवार समाधान–समृद्धि पूर्वक जीना होता है। **(अध्याय:16, पृष्ठ नंबर: 130–131)**

मानव कर्म दर्शन

(संस्करण: 2010, मुद्रण:2017)

- **Not found**

मानव अभ्यास दर्शन

(संस्करण: द्वितीय, मुद्रण: 2018)

- **Not found**

मानव अनुभव दर्शन

(संस्करण: 2011, मुद्रण: 2016)

- **Not found**

समाधानात्मक भौतिकवाद

(संस्करण: 2009)

- मानवीयता पूर्ण व्यवहार, व्यवस्था, संविधान, शिक्षा–संस्कार के साथ–साथ आहार, विहार, व्यवहार, व्यक्तित्व और प्रतिभा में संतुलन को प्रमाणित करने के लिए अति आवश्यक है। व्यवहार, मानवीय आचरण के रूप में, व्यवस्था में भागीदार होने के रूप में स्पष्ट व नियंत्रित, संतुलित हो जाता है। व्यवस्था में भागीदारी, व्यवहार में संबंधों व मूल्यों को निर्वाह करना, व्यवस्था के लिए पूरक होता है। व्यवस्था में भागीदारी प्रधानत: न्याय–सुरक्षा, उत्पादन–कार्य और **विनिमय–कोष** कार्यों में भागीदारी हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रत्येक मानव आहार–विहार करता ही है। **(अध्याय:9(1), पृष्ठ नंबर:200)**

- न्याय पूर्वक सुख और शांति, व्यवस्था पूर्वक शांति और संतोष, तथा अनुभव पूर्वक संतोष और आनंद जीवन में प्रमाणित होता है। प्रत्येक मानव इसे अनुभव कर सकता है। ऐसे अखण्ड समाज– परिवार मूलक व्यवस्था, विश्व परिवार में व्यवहार रूप दे सकता है। व्यवस्था कम से कम 100 से 200 परिवारों के बीच में, अर्थात् 1000 से 2000 जनसंख्या के बीच स्वायत्त विधि से सफल हो सकती है। स्वराज्य की परिभाषा ही हैं–स्वयं का वैभव, स्वयं का स्वरूप मानव, मानव के समान वस्तु जीवन है। जीवन का संबोधन ''स्वयं" अथवा ''स्व" है। इस प्रकार जीवन का वैभव ही राज्य है। अस्तु, जीवन का वैभव– स्वराज्य। जीवन वैभव जागृति की अभिव्यक्ति हैं। जागृति का अर्थ सर्वतोमुखी समाधान एवं प्रामाणिकता है। इसका व्यवहार रूप परिवार परंपरा में समृद्धि, अभय, सह–अस्तित्व है। यही एक परिवार से विश्व परिवार तक प्रमाणित होने की वस्तुएँ हैं। इसके क्रियान्वयन क्रम में सर्वमानव के लिए न्याय सुलभता, उत्पादन सुलभता, विनिमय सुलभता लक्ष्य है। इसकी अक्षुण्णता के लिए शिक्षा–संस्कार, स्वास्थ्य–संयम सहज सुलभ रहेगा। इसको ही ग्राम स्वराज्य व्यवस्था का रूप देने के क्रम में दस सदस्यीय परिवार स्वयं अपने एक परिवार के प्रतिनिधि को, पहचानने की व्यवस्था रहेगी। हर दस (10) परिवार से एक एक सदस्य ''परिवार समूह सभा" के लिए निर्वाचन पूर्वक पहचान करेगा। ऐसे दस परिवार समूह सभा अपने में से एक एक व्यक्ति को ग्राम परिवार सभा के लिए निर्वाचन पूर्वक पहचान करेगा। ग्राम सभा में समाहित दस (10) व्यक्तियों में से सभा प्रधान को पहचाने रहेंगे। ग्राम सभा, ''स्वराज्य कार्य संचालन" समितियों को, मनोनीत करेगी। ऐसी समितियाँ पाँच होगी–

1. शिक्षा–संस्कार समिति
2. न्याय सुरक्षा समिति
3. स्वास्थ्य संयम समिति

4. उत्पादन कार्य समिति

5. **विनिमय कोष** समिति

इन सबके अपने-अपने कार्य परिभाषित, व्याख्यायित रहेंगे। **(अध्याय:8, पृष्ठ नंबर:181-182)**

व्यवहारात्मक जनवाद

(संस्करण: 2009, मुद्रण: 2017)

- हर राज्य राष्ट्रीय पर्व दिवस की पावन बेला में राज्य की अखंडता सार्वभौमता, अक्षुण्णता का नारा अथवा जिक्र करते ही हैं। जबकि सन 2000 के पहले दशक तक ऐसा कोई ऐसा राज्य अथवा धर्म नहीं हुआ जिसका अन्य धर्मों के साथ विरोध ना हो, अथवा जो सबके लिए स्वीकार्य हो, ऐसा कोई धर्म ग्रंथ तैयार हो नहीं पाया। सभी अपने ढंग से श्रेष्ठता का दावा करते ही हैं। हर श्रेष्ठता की कसौटी है, जो सर्वमान्य स्वीकृत हो जिसके फलन में समाधान, समृद्धि, अभय सह अस्तित्व के रूप में प्रमाणित हो, स्वीकृत हो, और व्यवस्था के रूप में मानवीय शिक्षा- संस्कार, न्याय- सुरक्षा, परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कार्य, **विनिमय कोष**, (लाभ हानि मुक्त) और स्वास्थ्य- संयम कार्य रूप में प्रमाणों का वर्चस्व वर्तमान हो। इस प्रकार अखंड समाज, सार्वभौमता का प्रयोजन स्पष्ट हो जाता है। इन प्रयोजनों के साथ ही निरंतरता का वैभव होना पाया जाता है। **(अध्याय:3, पृष्ठ नंबर:44)**
- भाषा अपने में बोली के रूप में आता ही है। हर बोली का अर्थ होना पाया जाता है। ऐसे अर्थ अस्तित्व में कोई वस्तु, घटना, फल, परिणाम के रूप में होना पाया जाता है। इसी के साथ क्रियाकलाप, व्यवहार प्रक्रिया भी भाषा के अर्थ के रूप में अस्तित्व में होता ही है। अस्तित्व में होना ही अर्थ व वस्तु है क्योंकि प्रयोजन, परिणाम, फल, क्रिया, प्रक्रिया भी वस्तुगत विद्या ही है। ये सारे अर्थ, प्रयोजन के साथ ही सार्थक होना देखा गया है। सार्थकता तो सुस्पष्ट है। समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व ही वांछित उपलब्धि व वस्तु है। इसी के साथ सम्पूर्ण प्रकार के शिक्षा-संस्कार प्रक्रिया, न्याय सुरक्षा प्रक्रिया, उत्पादन-कार्य प्रक्रिया, **विनिमय-कोष** प्रक्रिया, स्वास्थ्य-संयम क्रियाकलाप के रूप शब्द का अर्थ समझ में आता है। जिससे मनवाकांक्षा अथवा मानव प्रयोजन प्रमाणित होने कीओर अपेक्षा मानव परंपरा में समाहित है ही। **(अध्याय:3, पृष्ठ नंबर:45)**
- व्यवहार व्यवस्था का तात्पर्य अथवा समाज व्यवस्था का तात्पर्य मानव में, से, के लिए लक्ष्य समेत जीने की विधि, विधान, कार्य और व्यवहार ही है। व्यवहार विधि संबंधो के आधार पर मूल्यों के निर्वाह करने के दायित्व पर निर्भर किया जाता है। इसके लिए जो क्रमबद्धता अर्थात निर्वाह के लिए जो क्रम बद्धता होती है यही विधान है। इन विधि विधान के आधार पर सर्वप्रथम स्वस्थ मानसिकता की पहचान, निर्वाह, मूल्यांकन विश्वास का मूल आधार होता है। स्वस्थ मानसिकता जागृत मानसिकता होती है। जागृत मानसिकता अनुभवमूलक मानसिकता है। जागृतिपूर्ण मानसिकता अपने में मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता को प्रमाणित करने के क्रम में उद्धत रहती ही है। मानवीयता, देव मानवीयता, में परिवार और समाज व्यवस्था मानवीयता पूर्ण आचरण सहित प्रमाणित होना बनता है। इसी क्रम में दिव्य मानवीयता समग्र व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक स्वतंत्रता, स्वराज्य को प्रमाणित करने में सार्थक हो जाती है। स्वतंत्रता, स्वराज्य सह अस्तित्व विधि से वैभवित होते है। स्वराज्य व्यवस्था में स्वाभाविक

विधि से मानवीय शिक्षा–संस्कार, न्याय–सुरक्षा, उत्पादन–कार्य, **विनिमय–कोष**, स्वास्थ्य–संयम कार्य और व्यवस्था अपने आप में निर्वाह होते है। ऐसे स्वराज्य व्यवस्था परिवार मूलक विधि से विश्व परिवार व्यवस्था तक दश सोपानीय विधि से सार्थक हो जाते है। हर स्थितियों में सामान्य रूप में 10–10 समझदार व्यक्तियों की एक सभा सम्पन्न होती है । एक परिवार में 10 समझदार व्यक्तियों होते हैं। ऐसे 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति परिवार व्यवस्था के अतिरिक्त और सोपानीय व्यवस्था में भागीदारी के लिए निर्वाचित रूप में प्रस्तुत होना बनता है। ऐसे व्यक्ति को हर परिवार में पहचान लेना एक स्वाभाविक प्रक्रिया रहता ही है। **(अध्याय:6, पृष्ठ नंबर:83)**

- व्यवस्था की चौथी कड़ी हर परिवार में उत्पादन का एक **कोष** रहेगा। परिवार के उपयोग से अधिक जितने भी उत्पादन रहेंगे उनका विनिमय अड़ोंस–पड़ोंस में अर्थात ग्राम–समूह और ग्रामो में कर लेगी। इससे सामाग्री लाने और ले जाने की प्रक्रिया में काफी बचत हो जायेगी। जिससे ईंधन से लेकर श्रम तक, श्रम से लेकर यंत्रो तक बचत का प्रावधान है। इसे अ'छी तरह से समझदार परिवार का हर सदस्य समझ सकता है। परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन जितना भी रहेगा, वे सभी उत्पादनो को एक सम्मिलित **कोष** में एकत्रित किया जायेगा। यह **कोष** मूलत: वस्तुओं का ही **कोष** है। इसके साथ श्रम मूल्य का मूल्याँकन रहेगा। उसी के बराबर में हर गांव में कोषालयो के खाते में श्रम मूल्य के साथ प्रतीक मुद्रा का संख्या भी लिखकर रखी जायेगी। उसी के साथ हर परिवार को उसी ग्राम **कोष** से क्या–क्या वस्तुएँ समीचीन दिनो के लिए आवश्यक है वह सूची रहेगी। उसी **कोष** से अपेक्षित वस्तुओ को प्राप्त किया जायेगा। ग्राम **विनिमय कोष** से वस्तुएँ किसी दूसरे ग्राम **कोष** में जायेगी और दूसरी वाँछित वस्तुओं को लायेगी। तभी तक समीपस्थ बाजार में विक्रय कर आवश्यक वस्तुओ को क्रमवार लाने की व्यवस्था रहेगी। लाभ हानि मुक्त विधि से वस्तुओ को ग्राम के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था रहेगी। इसी **विनिमय कोष** के कार्यक्रम में सभी प्रकार की आहार संबंधी वस्तुएँ यथा सब्जी, दूध, अनाज वगैरह तो रहेगी ही; कलात्मक जितनी भी उपज है, कृषि औजार, भारवाहन का औजार, गृहनिर्माण में उपयोगी वस्तुएँ, अलंकार संबंधी सभी उपज को कोषालय में एकत्रित किया जायेगा। कोषालय से बाजार में दूसरा स्वराज्य कोषालय में ले जाने की, ले आने की व्यवस्था ग्राम स्वराज्य सभा में रहेगी। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर:116)**
- तीसरी कड़ी में उत्पादन कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका है ही। परिवार समूह सभा में प्रौद्योगिकी के पक्ष में जितनी भी जानकारी चाहिये उन सब में पारंगत रहना आवश्यक है। ये दसों सदस्य ग्रामोद्योग, लघु उद्योग विधा में पारंगत रहेंगे। जैसे वन खनिज की संतुलित व्यवस्था है। वैसे ग्राम उद्योग विधा में उद्योगों को स्थापित करेगें। जैसे प$ढाई की सामग्री, अलंकार सम्बंधी सामग्री, गृह निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री, दूरगमन दूर दर्शन, दूरश्रवण सम्बंधी उपकरणों को निर्मित करने की व्यवस्था बनी रहेगी। ऐसा उत्पादन उन दस गाँव की आवश्यकता के अर्थ में रहेगा। इस उत्पादन कार्य में श्रम निवेश परस्पर दस गाँव के बीच ही बना रहेगा। इसका आदान प्रदान के लिए **विनिमय कोष** बनाना स्वाभाविक है। इस **विनिमय कोष** के साथ आदान–प्रदान का सम्बंध बनाए रखेगी। स्वास्थ्य संयम पाँचवी क$डी है इस क$डी में ग्राम सभा में जिसका स्वास्थ सुधार नहीं हो सका ऐसे लोगो के साथ लिए

स्वास्थ्य–संयम केन्द्र रहेगा। प्राद्योगिकी कार्य से जितनी भी समाज गति के लिए साधन उपलब्ध हुए रहते है इसे हम समृद्ध कर रहे है ऐसे समृद्ध **कोष** से स्वास्थ्य केन्द्र को सम्पन्न बनाए रखने का केन्द्र कार्य करेगा। इस प्रकार स्वास्थ्य केन्द्र के लिए साधन भरपूर रहेगा। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर:118–119)**

- बुनियादी तौर पर हर परिवार समझदार होने के आधार पर ही क्षेत्र परिवार सभा का वैभव भी प्रमाणित होने की संभावना बनी रहती है। हर मानव का उद्देश्य साम्य होने के आधार पर व्यवस्था सूत्र व्याख्या अपने आप स्पष्ट होती है। इसकी भी प्रथम कड़ी शिक्षा–संस्कार कार्यक्रम है। इन शिक्षा संस्कार कार्यो में यथावत एक विद्यालय रहेगा। इसके पहले की सीढ़ी में जो प्रौद्योगिकी बनी रहती है उसके योगदान पर उत्तर माध्यमिक शालाएँ और स्नातक शालाएँ क्रम विधि से कार्य करेगी। क्रम विधि का तात्पर्य हर इन्सान चाहे नारी हो, नर हो समझदार होने के लिए कार्य करेगा। समझदारी का किसी उँचाई इस क्षेत्र परिवार सभा के अन्तर्गत प्रमाणित होना स्वाभाविक है। ऐसे प्रमाण के लिए तमाम व्यक्ति प्रशिक्षित रहेंगे। इसी कारणवश स्नातक पूर्व और स्नातक विद्यालय किसी क्षेत्र सभा के अन्तर्गत संचालित रहेंगे। जिसमें मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद की रोशनी में ज्ञान, विज्ञान, विवेक सम्पन्न विधि से हर विद्यार्थी की मानसिकता में स्थापित करने का कार्य होगा। इसी क्रम में हर सभा के अधिकार में कुछ मझोले, बड़े प्रौद्योगिकी समायी रहेगी। इसके लिए बुनियादी रूप में आवश्यकीय सभी साधन क्षेत्र सभाओं के प्रौद्योगिकी सम्पदा से निर्मित किये रहेंगे। इस विधि से हर क्षेत्र परिवार सभा में मझोले और छोटे उद्योगो का उत्पादन प्रचुर होने की व्यवस्था रहेगी। प्रधानत: ये उद्योग आवास, अलंकार, दूरश्रवण, दूरदर्शन, दूरगमन सम्बंधी यंत्रो को बनाने के कार्य में प्रवृत्त होगा। **इसी सोपान में एक विनिमय कोष रहेगा जिसका सम्बंध इसके पहले के चारो सोपानों के विनिमय कोष से रहेगा। (अध्याय:7, पृष्ठ नंबर:119–120)**
- चौथी कड़ी में **विनिमय कोष** कार्य सम्पादित होगा। मंडल परिवार सभा **कोष** से ग्राम परिवार सभा **कोष** तक का सम्बंध यथावत बना रहेगा। इसी प्रकार दूर संचार विधि से सभी कड़ियो का सम्बंध एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। इसलिए सभी सोपान का अनुभव सुलभ रहता त्त **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर:121)**
- चौथी कड़ी विनिमय कार्य के बाबत है। जो उत्पादन हुआ रहता है उसे **विनिमय कोष** में संग्रह किये रहेंगे। इसके बावजूद ग्राम परिवार सभा से सभी सोपानों में संचालित **विनिमय कोष** अनुबंधित रहेंगे। यह अनुबंधन अपने आप में सदा–सदा के लिए अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी के लिए प्रशस्त और अनुकूल होने के रूप में उत्पादन कार्य को साज सजावट गुणवत्ता से परिपूर्ण विपुल मात्रा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था किये रहेंगे। सभी सोपानों के श्रम मूल्य के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर वस्तु मूल्य, वस्तु मूल्य के आधार पर श्रम मूल्य का निर्धारण, मूल्यांकन, पहचान होता ही रहेगा इस विधि से श्रम मूल्य के आधार पर आदान प्रदान सुगम होना पाया जाता है। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर:123)**

- चौथी कड़ी **विनिमय कोष** होगी इसका आदान–प्रदान विनिमय कार्य को मुख्य राज्य परिवार सभा सम्पन्न करेगी। इसमें सभी आदान–प्रदान व्यवस्था विनिमय प्रक्रिया में ही समाहित रहेगी। इसमें सन्तुष्टि बिन्दु यही है कि सर्वाधिक उत्पादन हो जो आवश्यकता से अधिक हो, आवश्यकता का आंकलन सभी सोपानीय व्यवस्था में संबंध अनुबंध से पहचानने की व्यवस्था रहेगी। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर:124)**
- इस समिति की चौथी कड़ी **विनिमय कोष** रहेगी। **विनिमय कोष** के अधिकार सम्पूर्ण यंत्र उपकरणों का संग्रह उनका विधिवत विनिमय करने का अधिकार रहेगा। इसी **कोष** के चलते और प्रगतिशीलता को पहचानने की अनुसंधान, शोध अवश्य सम्पादित होती रहेगी। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर:124)**
- चौथी कड़ी **विनिमय कोष** है विश्व राज्य परिवार सभा में विनिमय के लिए कोई खास वस्तुएँ नहीं रह जाते है। आवश्यकता महसूस होने की स्थिति में विश्व मानव के लिए उपयोगी वस्तु को प्रस्तुत करेगा। इसकी सम्भावना दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण सम्बन्धी वस्तुओ में परिष्कृति और गति हो सकती है। विश्व मानव परिवार सभा की गरिमा के अनुसार ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा संतुलन सम्बन्धी औजारो के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्युत ऊर्जा, विकरणीय ऊर्जा यह दो प्रकार की ऊर्जाएँ अति महत्वपूर्ण है इनमें से विकरणीय ऊर्जा पर संतुलन का नजरिया विश्व मानव परिवार सभा में सुस्पष्ट रहने की आवश्यकता है। इसको कारगर बनाए रखना अर्थात सर्वसुलभ करने योग्य ज्ञान विवेक विज्ञान कर्माभ्यास सम्पन्नता को बनाए रखना है किसी भी सोपानीय आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा शिक्षण की कर्माभ्यास की व्यवस्था को बनाए रखेंगे। यही विनिमय का प्रधान स्वरूप रहेगा। यह विश्व मानव परिवार सभा का महिमा मंडित स्थितियो के लिए अनुकूल है। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर:128)**

अनुभवात्मक अध्यात्मवाद

(संस्करण: 2009)

- उक्त मुद्दों पर स्वीकृत अधिकारों के आधार पर किये गये समझौते बारंबार बदलते भी रहते है । इसी के साथ इस शताब्दी के अंतिम दशक तक में यह भी देखा गया जिस देश के पास सर्वाधिक समर शक्ति हाथ लगी है वह किसी के अधिकारों को भी हथिया लिया है और अपने अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया गया है । इस शताब्दी के पहले भी इस प्रकार की नजीरें उपनिवेश के रूप में घटित होना ख्यात हो चुकी है । इस प्रकार कोई भी अपने सामरिक कूटनीतिक (अन्त:कलह को पैदा करो–राज करो) मानसिकता से ही पहले भी जो अपना देश नहीं है ऐसे देशों पर अधिकार पाने का प्रयोग किया है । यह राज्याधिकार मानसिकता मूलत: अपने स्वजनों, स्वजातियों और स्वदेशियों के सुविधा के लिये अन्य देश की सम्पदाओं को अपहरण कर, शोषण कर अपने देश में उपयोग करने के रूप में प्रयास करना देखा गया है । आदिकाल से ही सामरिक शक्ति सम्पन्न राज्य को विकसित राज्य, उस देश में निवास करने वालों को विकसित जनजाति होना मान्यता के रूप में लोकव्यापीकरण हुआ है जबकि युद्ध न तो विकास का आधार है, कड़ी है, न प्रक्रिया है । क्योंकि इससे अखण्ड समाज का एक भी सूत्र–व्याख्या, प्रयोजन प्रमाणित नहीं होता । जबकि मानवीयतापूर्ण पद्धति, प्रणाली, नीति से अखण्ड समाज का ही सूत्र रचना, व्याख्या व प्रयोजन नित्य समीचीन है । इससे वंचित होने का एक ही कारण है, भ्रमात्मक मानसिकता अथवा भय, प्रलोभन, आस्थाओं से ग्रसित मानसिकता ही है । अभी तक जितने भी झीना–झपटी युद्ध, विश्वयुद्ध हुए हैं, वे सब उक्त तीनों आधारों पर ही सम्पन्न हुए हैं । अतएव अनुभव मूलक विधि से ही मानवीयतापूर्ण पद्धति प्रणाली नीतिपूर्वक है । अखण्ड समाज सार्वभौम व्यवस्था, मानवीयतापूर्ण शिक्षा–संस्कार सुलभता, न्याय–सुरक्षा सुलभता, उत्पदान–कार्य सुलभता, **विनिमय–कोष** सुलभता, स्वास्थ्य संयम सुलभता नित्य वैभव के रूप में इसी धरती पर वैभवित होना सहज है, नियति है, एक अपरिहार्यता है । ऐसी ऐश्वर्य सम्पन्न मानव परंपरा महिमा से ही अनेक राज्य, समुदाय सम्बन्धी अधिकारोन्माद समापन होना स्वाभाविक है। इसका समापन और मानवीयता का उदय अर्थात् जागृति ही मानव परंपरा में, से, के लिये मौलिक संक्रमण और परिवर्तन है । **(अध्याय:2, पृष्ठ नंबर: 37–38)**

व्यवहारवादी समाजशास्त्र

(संस्करण : 2009)

- स्वतंत्रता :– प्रत्येक मानव अखण्ड समाज सार्वभौम व्यवस्था (मानव धर्म) में भागीदारी निर्वाह करने, कराने एवं करने के लिये मत देने में स्वतंत्र है। अखण्ड समाज और सार्वभौम व्यवस्था की अक्षुण्णता मानवीय शिक्षा–संस्कार, स्वास्थ्य–संयम, न्याय–सुरक्षा, उत्पादन–कार्य, **विनिमय–कोष**, सुलभता सहित है जिसका क्रियान्वयन दस सीढ़ी में होता है। 1. 'परिवार' सभा, 2. 'परिवार समूह' सभा, 3. 'ग्राम परिवार' सभा, 4. 'ग्राम समूह' परिवार सभा, 5. 'ग्राम क्षेत्र' परिवार सभा, 6. 'मंडल' परिवार सभा, 7. 'मंडल समूह' परिवार सभा, 8. 'मुख्य राज्य' परिवार सभा, 9. 'प्रधान राज्य' परिवार सभा और 10. 'विश्व राज्य'। **(अध्याय:5, पृष्ठ नंबर: 126)**
- परिवार सभा सभ्यता – सम्बन्ध, मूल्य, मूल्यांकन विधियों से सम्पन्न अनुभव ही सभ्यता की प्रतिष्ठा है। परिवार ही अपने परिपक्वता विधि से सभा के स्वरूप में प्रमाणित होता है। इस प्रकार सभा ही सभ्यता की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन स्रोत है। सभा स्वरूप क्रम से दस सीढ़ियों में स्पष्ट है। मूलत: परिवार सभा ही अन्य स्तरीय सभाओं की रचना–कार्य और प्रवृत्तियों को प्रवर्तित करता है। परिवार में समाधान, समृद्धि और परस्परता में विश्वास, प्रतिष्ठा के रूप में अनुभव होना ही, उसकी विशालता की आवश्यकता स्फूर्त होती है। इसी क्रम में परिवार के अन्य कार्य सूत्र भी आशय के रूप में सूत्रित रहता ही है। धरती में अकेले व्यक्ति या परिवार नाम की स्वरूप की व्यवस्था नहीं है। अनेक व्यक्ति, अनेक परिवार के रूप में मानव प्रकाशित है। इसलिये परस्पर परिवार में विश्वास का सूत्र फैलना एक आवश्यकता रहता ही है। इसी क्रम में परिवार समूह, ग्राम मुहल्ला परिवार होना एक साधारण विधि है। इसमें परिवार का आशित विनिमय, न्याय, स्वास्थ्य–संयम, शिक्षा–संस्कार अपेक्षा के रूप में ही रहता है। क्योंकि परिवार आवश्यकीय सभी सामान्य आकांक्षा एवं महत्वाकांक्षा सम्बन्धी वस्तुओं को निर्मित नहीं करता। आवश्यकता से अधिक एक–दो वस्तुओं को अवश्य ही उत्पादित करता है एवं विनिमय पूर्वक अन्य वस्तुओं में बदलने की आवश्यकता बनी रहती है। यह एक आवश्यकीय प्रक्रिया है। इसे दूर–दूर तक सूत्रित करना एक आवश्यकता है। मानव जागृतिपूर्वक ही सामाजिक होना पाया जाता है। यह शिक्षा–संस्कारपूर्वक ही होता है। इसका परीक्षण, सर्वमानव के साथ होना सहज है। इस विधि से संबंधों को विशाल और विशालतम रूप देना आवश्यकता है। इसी विधि से ग्राम परिवार सभा से विश्व परिवार सभा तक सम्बन्ध रचना मानव का चिर कामना नैसर्गिकता सहज विधि से स्पष्ट हुआ है। इस विधि से धरती के मानव न्याय, जो अखण्ड समाज के अर्थ को ध्वनित करता है, के साथ समाधान जो सार्वभौम व्यवस्था को ध्वनित करता है, के साथ जागृति जो इन दोनों को संतुलित रूप में प्रमाणित है, के साथ निरन्तर जीने की कला को, अनुभव बल को, विचार शैली को सर्वथा परिपूर्ण रूप में जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना संभव है। जागृत परंपरा ही शिक्षा–संस्कार, न्याय–सुरक्षा, **विनिमय–कोष**, उत्पादन–कार्य और स्वास्थ्य–संयम के रूपों में हर सभा के परस्परता में, हर सभा में प्रमाणित होता है और

उसका मूल्यांकन होना एवं उसकी तृप्ति सर्वसुलभ होना ही मानवीयतापूर्ण आचार संहिता का परम लक्ष्य है। अस्तु :–

1. मानव का मौलिक आधार, उसके विशालता का स्वरूप, आवश्यकता का उद्गमन, सार्थकता का स्वीकार हर मानव में है ही।
2. हर मानव प्रमाणित होना ही चाहता है।
3. सार्थक होने का सहज स्रोत मानवीय शिक्षा–संस्कार ही है। और
4. परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में ही सम्पूर्ण प्रमाण प्रमाणित होता है। **(अध्याय:6, पृष्ठ नंबर:133–135)**

- परिवार विधि में हर सम्बोधन प्रयोजन से लक्षित होना पाया जाता है। और हर प्रयोजन हर व्यक्ति के अपेक्षा सहित सम्बोधन का वस्तु है।

परिवार क्रम में

सम्बोधन		**प्रयोजन**
1. पिता	–	संरक्षण
2. माता	–	पोषण
3. पति–पत्नी	–	यतित्व–सतीत्व
4. पुत्र–पुत्री	–	अनुराग
5. स्वामी (साथी)	–	दायित्व
6. सेवक (सहयोगी)	–	कर्तव्य
7. गुरू	–	प्रामाणिकता
8. शिष्य	–	जिज्ञासु
9. भाई–बहन–मित्र	–	जागृति (समाधान–समृद्धि)

सभा क्रम में

सम्बोधन		**प्रयोजन**
सभा में	–	जागृति में
भाई–मित्र–बन्धु–बहन	–	समानता के अर्थ में
समितियों में सम्बोधन		
गुरू–शिष्य	–	शिक्षा–संस्कार विधा में
आचार्य–आवेदक	–	न्याय–सुरक्षा विधा में

पितामह, पिता–माता, – उत्पादन–कार्य सम्बन्ध

पुत्र–पुत्री

आयु के अनुसार – **विनिमय–कोष सम्बन्ध**

सहयोगी – साथी – स्वास्थ्य–संयम विधा में। **(अध्याय:6, पृष्ठ नंबर: 182–183)**

आवर्तनशील अर्थशास्त्र

(संस्करण: 2009)

- परिवार का तात्पर्य सीमित संख्यात्मक स्वायत्त नर–नारियों का न्याय पूर्वक सहवास रूप है। यह अपने आप में स्वयं स्फूर्त विधि से परस्पर संबंधों को पहचानना मूल्यों को निर्वाह करना, मूल्यांकन करना और उभय तृप्ति पाना होता है। इसी के साथ–साथ समझदार परिवारगत उत्पादन कार्य में परस्पर पूरक होना, परिवार की आवश्कता से अधिक उत्पादन करना अथवा होना होता है। यही परिवार का कार्यकलाप का प्रारंभिक स्वरूप है। संबंध, मूल्य, मूल्यांकन विधि से समाज रचना और अखंड समाज होना पाया जाता है अथवा संभावनाएं है ही। समाज रचना विधि ही व्यवस्था का आधार है। व्यवस्था का स्वरूप पांचों आयामों में यथा

  (1) न्याय सुरक्षा,

  (2) उत्पादन कार्य

  (3) **विनिमय कोष**

  (4) स्वास्थ्य संयम, और

  (5) शिक्षा संस्कार

  कार्यकलापों के रूप में प्रमाणित हो पाता है और उसकी निरंतरता संभावित है। सभी आयामों में भागीदारी को निर्वाह करना ही समग्र व्यवस्था में भागीदारी का तात्पर्य है। ऐसी व्यवस्था सार्वभौम होने की संभावना समीचीन है जिसकी अक्षुण्णता मानव परंपरा में भावी है। ऐसी व्यवस्था को कम से कमएक गाँव से आरंभ करना और सभी आयामों में भागीदारी को निर्वाह करने योग्य अर्हता सें समूचे ग्राम वासियों को सम्पन्न करना एक आवश्यकता है। ऐसे अर्हता से सम्पन्न परिवार मानव और परिवार कम से कम 100 परिवार के सह–अस्तित्व में परिवारमूलक स्वराज्य व्यवस्था समझदारी पूर्वक प्रमाणित हो पाता है। ऐसी परिवारमूलक स्वराज्य व्यवस्था में ही आवर्तनशील अर्थशास्त्र चरितार्थ होना सहज संभव है। **(अध्याय:2, पृष्ठ नंबर:30–31)**

- इसी क्रम में परिवार सहज सहवास, ग्राम मोहल्ला सहज सहयोग, राष्ट्र और विश्व परिवार सहज सह अस्तित्व के रूप में आवर्तनशील अर्थ व्यवस्था को जानना–मानना–पहचाननना–निर्वाह करना नियति सहज समीचीन है। परिवारमूलक विधि से एक ग्राम और ग्राम मूलक विधि से एक परिवार व्यवस्था पांचों आयामों के रूप में वैभवित होना सहज है। यही पाँचों आयामों की परस्पर पूरकताएं आवर्तनशीलता को प्रमाणित करना मानव का सहज अपेक्षा और जागृति क्रम घटना की समीचीनता अध्ययनगम्य हो जाता है। एक ग्राम व्यवस्था में न्याय सुरक्षा कार्य में भागीदारी, **विनिमय कोष** कार्यो में भागीदारी निरंतर समीचीन रहता है। परिवार व्यवस्था में जीना प्रमाणित रहता है। इन तीनों आयामों के लिए स्रोत रूप में स्वास्थ्य संयम कार्यों में भागीदारी और शिक्षा संस्कार कार्यों में भागीदारी की आवश्यकता, सम्भावना और प्रयोजन समीचीन रहता ही है। हर समझदार परिवार मानव कहे गये

पाँच आयामों में भागीदारी को निर्वाह करने योग्य होता ही है। इसका स्रोत शिक्षा–संस्कार विधि से सम्पन्न होने की व्यवस्था है। **(अध्याय:3, पृष्ठ नंबर: 57–58)**

- समूचे व्यवस्था का अर्थात् एक परिवार से विश्व परिवार, मानव व्यवस्था को पहचानने–निर्वाह करने के क्रम में दस सीढ़ियों में पहचानना सहज है। यथा

  1) परिवार सभा व्यवस्था

  2) परिवार समूह सभा व्यवस्था

  3) ग्राम परिवार सभा व्यवस्था

  4) ग्राम समूह परिवार सभा व्यवस्था

  5) ग्राम क्षेत्र परिवार सभा व्यवस्था

  6) मंडल परिवार सभा व्यवस्था

  7) मंडल समूह परिवार सभा व्यवस्था

  8) मुख्य राज्य परिवार सभा व्यवस्था

  9) प्रधान राज्य परिवार सभा व्यवस्था और

  10) विश्व राज्य परिवार सभा व्यवस्था।

  इन दसों सीढ़ियों का अन्तर संबंध हर एक व्यक्ति 10 व्यक्ति को अथवा हर 10 व्यक्ति एक–दूसरे को मानव सहज संबंधों के रूप में पहचानने, उसमें निहित मूल्यों को निर्वाह करने के रूप में समझा गया है। इस क्रम में एक परिवार सभा से कम से कम 10 व्यक्ति होना मानते हुए इसे चित्रित किया गया है। 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को किसी निश्चित काल तक परिवार समूह सभा व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह करने के लिए निर्वाचित करेंगे। ऐसे 10 परिवारों में से निर्वाचित एक–एक व्यक्ति मिलकर एक परिवार समूह सभा के रूप में कार्य करना होगा। ऐसे 10 परिवार समूह सभाएं अपने में से एक–एक व्यक्ति निर्वाचित करेंगे। ऐसे 10 व्यक्ति मिलकर एक ग्राम मोहल्ला स्वराज्य परिवार सभा व्यवस्था गठित करेंगे। यही निर्वाचित 10 व्यक्ति मिलकर, ग्राम के कम से कम 1000 व्यक्ति में से ही 5 समितियों को मनोनीत करेंगे। ये 5 समितियाँ क्रम से 1.न्याय–सुरक्षा, 2.उत्पादन–कार्य, 3.**विनिमय–कोष**, 4.शिक्षा–संस्कार और 5.स्वास्थ्य–संयम समितियाँ रहेंगी। इसमें मूलत: महत्वपूर्ण मुद्दा यही है परिवार के सभी सदस्यों को स्वयं पर विश्वास, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान, प्रतिभा और व्यक्त्वि में संतुलन, व्यवसाय में स्वावलंबी, व्यवहार में सामाजिक योग्य क्षमता–योग्यता–पात्रता को स्थापित करने के उपरांत ही परिवारमूलक स्वराज्य व्यवस्था सभा का गठन करना सहज है। ऐसे 10–10 व्यक्तियों का 10 ग्राम स्वराज्य परिवार सभाओं में से 1–1 व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे। ऐसे 10 व्यक्ति मिलकर एकग्राम समूह परिवार सभा का गठन करेंगे। और इसमें भी पांच आयाम रूपी समितियों को मनोनीत व्यक्तियों से गठित करेंगे। इसी प्रकार क्रम से प्रधान राज्य परिवार सभा का गठन, पाँचों आयाम रूपी समितियों का मनोनयन सम्पन्न होगा। इस धरती पर जितने भी

प्रधान राज्य परिवार सभाएं होंगी वे सब अपने–अपने निर्वाचित सदस्यों को पहचानने, इस प्रकार विश्व परिवार सभा व्यवस्था भी मनोनयन पूर्वक 5 व्यवस्था समितियों को गठित करेगा। ये सभी समितियाँ ग्राम से विश्व तक अंतर सम्बन्धित रहना होगा। सभी स्तरीय सभाएं इन पाँचों समितियों का मूल्यांकन करते हुए श्रेष्ठता की ओर कार्य और प्रयोजन पर बल देते रहना बनता है। इस विधि से भविष्य का हर क्षण उत्सव मय होना समझ में आता है। **(अध्याय:3, पृष्ठ नंबर: 58–60)**

- परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य सभा अपने ही ग्राम के व्यक्तियों में से 5 समितियों को गठित करेगा। यह प्रधानत:– (1) न्याय–सुरक्षा करेगा अथवा न्याय सुरक्षा को संतुलित बनाए रखेगा, (2) उत्पादन–कार्यकलाप को संतुलित बनाए रखेगा, (3) **विनिमय कोष** कार्यों को संतुलित बनाए रखेगा, (4) शिक्षा–संस्कार कार्य को संतुलित बनाए रखेगा और (5) स्वास्थ्य–संयम कार्यों को संतुलित बनाए रखेगा। इन्हीं कार्यकलापों के आधार पर क्रमश: (1) न्याय–सुरक्षा समिति (2) उत्पादन–कार्य समिति (3) **विनिमय–कोष** समिति (4) शिक्षा–संस्कार समिति और (5) स्वास्थ्य–संयम समिति नामकरण होगा। कार्य और नाम से यह सुस्पष्ट है कि इस स्वरूप के साथ मानव प्रयोजन, आवश्यकता और अनिवार्यता को अनुभव कर सकता है। इसी क्रम में विश्व परिवार सभा तक 5–5 समितियों का गठन होना सहज है। और हर समिति हर स्तरीय समिति एक दूसरे के साथ संचार और अनुप्राणन संबंध को बनाए रखेंगे। इसमें से **विनिमय कोष** समिति के द्वारा विनिमय कार्यों को गाँव में और एक–दूसरे गाँव के साथ सार्थक होगी। हर गाँव में ग्राम सभा ही वस्तु मूल्यों का मूल्यांकन, उसका ध्रुवीकरण क्रियाकलापों की विधि पर निर्णय लेगा। **(अध्याय:4, पृष्ठ नंबर:139–140)**

- इस चित्र में स्पष्ट किया गया पाँचों आयाम रेखाकार और वर्तुलाकार विधि से अन्तर सम्बन्धित और कार्यरत रहते हैं। रेखाकार विधि से अन्तर्संबंध, वर्तुलाकार विधि से पांचों समितियों को अविभाज्य सम्बन्ध आवर्तनशीलता के रूप में देखने को मिलता है। इसके मूल में मानव ही मानवीय शिक्षा–संस्कारपूर्वक स्वायत्त मानव, परिवार मानव (समाज मानव) और व्यवस्था मानव के रूप में प्रमाणित होना ही परिवार मूलक के स्वराज्य व्यवस्था का अबाध गति है। इस क्रम में ग्राम परिवार व्यवस्था में **विनिमय कोष** का कार्य का सामान्य चित्र जो उत्पादन और विनिमय सुलभ रूप को स्पष्ट करता है :–

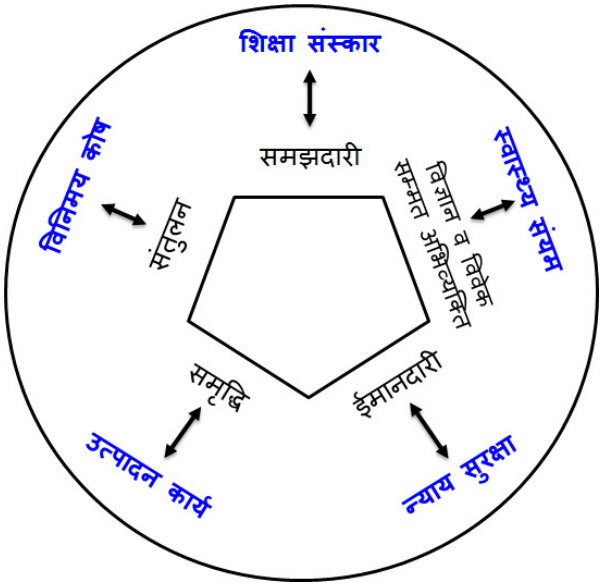

इस चित्र में ग्राम में उत्पादनों का सामान्य ध्यानाकर्षण किया है। सामान्य का तात्पर्य हर गाँव में एक ही परिवार में सभी प्रकार के उत्पादन सीमाओं को बांधना संभव नहीं है। विभिन्न प्रकार के उत्पादन होना वांछनीय है। अतएव जिन–जिन ग्रामों की सीमा में जो–जो उत्पादन कार्य सम्पन्न होता है, उसका विनिमय कार्य को श्रम विनिमय विधि से सम्पन्न करना ही **विनिमय कोष** का प्रधान कार्य है।...

"वस्तु और **कोष** का अलग–अलग कोई स्थान नहीं होता।" क्योंकि अस्तित्व में वस्तु और उसका मूल्य अविभाज्य रूप में देखा जाता है। यही विधि/तथ्य सम्पूर्ण उत्पादित वस्तुओं में भी दिखाई पड़ता है। जैसे एक वाहन को छोटा या बड़ा सामने रखकर देखें इसका उपयोगिता मूल्य, सुन्दरता मूल्य और वह वाहन अलग–अलग हो सकता है? इस पर कितना भी सोचा जाए अंत में यह अविभाज्य है। यही मानव जाति से कहना बनता है।

"उत्पादित वस्तुओं में उपयोगिता मूल्य बना ही रहता है।" हर वस्तुओं का उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य मानव के श्रम नियोजन का ही फलन है। मूल्यांकन श्रम का ही हो पाता है न कि प्रतीक वस्तुओं का। इस तथ्य पर भी पहले विश्लेषण–निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। इसी विधि से मानव परंपरा में हर परिवार, हर स्तरीय परिवार स्वाभाविक रूप में समृद्धि, समाधान, अभय और सह–अस्तित्व में ओत–प्रोत रहना अथवा यह सर्वसुलभ रहना ही परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का एक अनिवार्यता है क्योंकि सर्वमानव का यही लक्ष्य है। 'समृद्धि का आधार आवश्यकता से अधिक उत्पादित वस्तु, सदुपयोग और सुरक्षा के योगफल में होना देखा गया।' इसका प्रमाण और उसकी निरंतरता अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था में गति का होना पाया जाता है। अतएव वस्तु और उसका मूल्य स्वाभाविक रूप में अविभाज्य बना रहता है। इसलिए **विनिमय–कोष** व्यवस्था सुन्दर, सुखद, समाधानपूर्ण मानव मार्ग है। **(अध्याय:8, पृष्ठ नंबर:233–236)**

- मूल्यांकन सम्बन्धी निश्चयन हर ग्राम से आरंभ होकर विश्व परिवार **विनिमय–कोष** तक सम्बद्ध रहना आवश्यक है। शिक्षा पूर्वक हर व्यक्ति में निपुणता, कुशलता, पाण्डित्य सुलभ होता है। फलस्वरूप उत्पादन कार्य में दक्ष होना पाया जाता है। इसी आधार पर प्रत्येक व्यक्ति में स्वायत्तता पूर्ण लक्ष्य अध्ययन काल से ही समाहित रहता है।

सम्पूर्ण उत्पादन की कोटि और स्वरूप स्पष्ट हो चुका है। समृद्धि का सर्वाधिक आपूर्ति आहार, आवास, अलंकार सम्बन्धी वस्तुओं, उपकरणों और सामग्रियों सहित प्रत्येक ग्राम सीमा में जो कुछ भी प्राकृतिक ऐश्वर्य, जलवायु, वन, खनिज, नैसर्गिकता के रूप में रहते ही हैं। इन्हीं आधारों पर या इन्हीं के पृष्ठभूमि में मानव अपना श्रम नियोजन करने का कार्यक्रम बनाता है। हर परिवार अपने प्रतिष्ठा के अनुरूप आवश्यकताओं का निर्धारण करने में मानवीयता पूर्ण शिक्षा संस्कार के बाद ही समर्थ होना पाया जाता है। ऐसे परिवार मानवों से सम्बद्ध परिवार अपने आवश्यकता की तादात, गुणवत्ता सहित आवश्यकताओं को अनुभव करेंगे और उत्पादन–कार्य को अपनायेंगे। हर गाँव में साधारणतया कृषि, पशुपालन, ग्राम शिल्प, कुटीर उद्योग, हस्तकला, ग्रामोद्योगों को अपनाना सहज है। इसी आधार पर हर परिवार के लिए आवश्यकतानुरूप उत्पादन कार्य का अवसर समीचीन होना स्पष्ट है। इसी के साथ यह भी स्पष्ट है कि सम्पूर्ण आवश्यकताएँ शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति में ही उपयोगी, सदुपयोगी, प्रयोजनशील है। इसी स्पष्ट नजरिये से जीवन ज्ञान सम्पन्न हर मानव को आवश्यकताएँ सीमित दिखाई पड़ती हैं और आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन श्रम शक्ति मूलत: जीवन शक्ति की ही अक्षय महिमा होने के आधार पर आवश्यकता से अधिक उत्पादन में विश्वास स्वाभाविक है। यह स्वायत्त मानव में अभिव्यक्त होने वाले आयामों में से उत्पादन–कार्य भी एक आयाम है। इस विधि से आवश्यकताएँ सीमित संयत होना पाया जाता है। इसी सूत्र के आधार पर अपने उत्पादन कार्यों को विभिन्न वस्तुओं के रूप में परिणित करने में निष्ठान्वित होते हैं। **(अध्याय:8, पृष्ठ नंबर:237–238)**

- एक ग्राम में कम से कम 100 परिवार की परिकल्पना की जाती है। पाँचों आयाम सम्बन्धी व्यवस्था सफल होने के लिए कम से कम 100 परिवार का होना एक आवश्यकता है। 100 परिवार के बीच सामान्य आकाँक्षा सम्बन्धित सभी अथवा सर्वाधिक वस्तुएँ ग्राम में ही उत्पादित होना सहज है। उत्पादन कार्यों में परिवार मानव जब संलग्न होता है, उसे निरीक्षण–परीक्षण करने पर पता लगता है कि प्रत्येक उत्पादन कार्य निपुणता–कुशलता, पांडित्य सम्पन्न मानसिकता, विचार, इच्छा, समय खंड, हस्तलाघव और निश्चत साधन के योगफल में होना पाया जाता है। जहाँ तक साधनों की गणना है यह परंपरा के रूप में पीढ़ी से पीढ़ी अधिक साधन सम्पन्न होने की व्यवस्था है। यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है मानव, जलवायु, धरती, वन, खनिज जैसी नैसर्गिकता में और अनंत और व्यापक ब्रह्मांडीय किरणों के वातावरण में होता हुआ देखने का मिलता है। इसी के साथ–साथ मानवकृत उप–वातावरण सहज ही गण्य होता है। अभी यहाँ मानवकृत वातावरण में परिवर्तन, परिवर्धन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नैसर्गिकता पर किए जाने वाले हस्तक्षेपों, श्रम नियोजनों, प्रतिफलों, उसकी उपयोगिता, सदुपयोगिता और प्रयोजनशीलताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह मानवकृत वातावरण में से एक पक्ष है। इसी के साथ–साथ मानवकृत वातावरणिक सूत्र जुड़ा ही रहता है। अन्य वातावरण का तात्पर्य नैसर्गिक और ब्रह्मांडीय वातावरण अविभाज्य वर्तमानित रहने से है। इस प्रकार समग्रता के साथ ही यह धरती, धरती की समग्रता के साथ ही मानव, मानव के समग्रता के साथ ही व्यवस्था और समाज परिकल्पना अध्ययन, योजना और क्रियान्वयन क्रम में

मानवीयतापूर्ण मानव के वैभव की पहचान होती है। इसी विधि से मानव समाज और व्यवस्था का अविभाज्य स्वरूप को परिवार और परिवारमूलक व्यवस्था के रूप में देखा गया है। जो स्वयं स्वराज्य और धर्म अविभाज्य रूप और उसका प्रमाण होना पाया गया है। अस्तु समग्र मानव को ध्यान में रखते हुए पाँच आयाम सम्पन्न व्यवस्था को परिपूर्णता के रूप में अध्ययन किया गया है। इसी के अंगभूत उत्पादन, **विनिमय–कोष** के आधार पर अथवा कार्यप्रणाली के आधार पर ग्राम से आरंभित स्वराज्य वैभव सूत्रों के अंगभूत होने के कारण ग्राम सभा से विश्व सभा तक इसकी लम्बाई पहुँचना स्वाभाविक है। **(अध्याय:8, पृष्ठ नंबर:238–240)**

- ग्राम सभा से मनोनयनपूर्वक व्यवस्थित **विनिमय कोष** व्यवस्था सूत्र और उत्पादन कार्य सूत्र यह दोनों अविच्छिन्न रूप में विशाल और विशालता की ओर सम्बद्ध होना समीचीन है। जैसा ग्राम सभा क्षेत्र में कार्यरत उद्यमों के अतिरिक्त कुटीर और लघु उद्योगों को ग्राम समूह समिति में स्थित उत्पादन कार्य समिति सम्पन्न करेगा और **विनिमय कोष** समिति विनिमय कार्यों को समपन्न करेगा। क्षेत्र सभा–समिति लघु उद्योगों और मध्यम उद्योगों के बारे में, से सम्बन्धित उत्पादनों को सम्पन्न करेगा और ग्राम क्षेत्र समिति से मनोनीत **विनिमय कोष** समिति इसका विनिमय कार्य सम्पन्न करेगी। क्षेत्र **विनिमय कोष** समिति ग्राम समूह समितियों के, से अक्षुण्ण सम्बन्ध बनाए रखने के आधार पर **विनिमय कोष** समिति से आदान–प्रदान विधि से गतिशील रहना सहज है। इसी प्रकार मण्डल और मण्डल समूह सभाओं से मनोनीत उत्पादन कार्य समिति और **विनिमय–कोष** समितियों के परामर्श से मध्यम कोटि के उद्योगों और वृहद उद्योगों को गतिशील बनाएगा, **विनिमय–कोष** पूर्वक ग्राम सभा तक विनिमय विधान (आदान–प्रदान) को बनाये रखेगा। इसी प्रकार मुख्य राज्य और प्रधान राज्य सभाओं से मनोनीत उत्पादन कार्य समिति द्वारा वृहद् उद्योगों को और उत्पादनों को समृद्ध बनाने का कार्य करेगा। इनसे मनोनीत **विनिमय–कोष** समिति द्वारा आदान–प्रदान विधि सम्पन्न होगी। विश्व राज्य परिवार सभा से मनोनीत उत्पादन कार्य और **विनिमय कोष** समितियों के द्वारा सम्पूर्ण राज्य में संतुलन को बनाए रखने का कार्य करेगा और आवश्यकतानुसार विश्व राज्य सभा द्वारा मनोनीत उत्पादन कार्य समिति विश्व समृद्धि के अर्थ में वृहद उद्योगों को स्थापित कर उत्पादन कार्य को सम्पन्न करेगा।
- **विनिमय कोष** द्वारा वस्तुओं का आदान–प्रदान कार्य सम्पन्न होगा। इसी प्रकार अन्य समितियों का भी सम्बन्ध अपने–अपने स्थिति में और ग्राम परिवार सभा से विश्व परिवार सभा तक रहेगा। इसी में दूरसंचार, परिवहनों का धारकता, वाहकता, उसकी रखरखाव की व्यवस्था सुपरिमार्जित रूप में बना रहेगा। शिक्षा–संस्कार पूर्वक आवश्यकीय सभी तकनीकी शिक्षा को जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन सहित सह–अस्तित्व मानसिकता से सम्पन्न कराने की व्यवस्था रहेगी। फलस्वरूप न्याय सुलभता और स्वास्थ्य–संयम समितियों का अंतरसम्बन्ध अपने–अपने विशालता सहित सम्पूर्ण कार्य करने की व्यवस्था रहेगी। **(अध्याय:8, पृष्ठ नंबर: 240–242)**

- परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना
  1) स्वराज्य व्यवस्था के लिए पूर्व तत्परता एवं आंकलन
  2) स्वराज्य सभा
  3) शिक्षा–संस्कार व्यवस्था
  4) उत्पादन–कार्य व्यवस्था
  5) स्वायत्त सहकारी **विनिमय–कोष** व्यवस्था
  6) स्वास्थ्य–संयम व्यवस्था
  7) न्याय–सुरक्षा व्यवस्था
  8) मूल्यांकन, प्रोत्साहन नियंत्रण प्रक्रिया **(अध्याय:9, पृष्ठ नंबर:253)**
- **स्वराज्य सभा**

  कार्य शैली :–

  प्रत्येक ग्राम सभा, "ग्राम स्वराज्य व्यवस्था" को स्थापित करने के लिए निम्न ' समितियों का गठन करेगी :–
  1) मानवीय शिक्षा–संस्कार समिति
  2) उत्पादन–कार्य व सलाहकार समिति
  3) लाभ–हानि मुक्त सहकारी **विनिमय–कोष** समिति
  4) स्वास्थ्य–संयम समिति
  5) मानवीय न्याय–सुरक्षा समिति

  उपर्युक्त समितियाँ ग्राम सभा के मार्गदर्शन के आधार पर कार्य करेंगी। उपरोक्त समितियाँ क्रम से ग्राम में शिक्षा–संस्कार व्यवस्था, उत्पादन–कार्य व्यवस्था, **विनिमय–कोष** व्यवस्था, स्वास्थ्य–संयम व्यवस्था व न्याय सुरक्षा व्यवस्था को स्थापित करेंगी। उपरोक्त समिति के सदस्यों का मनोनयन ग्राम सभा करेगी। प्रत्येक मनोनीत सदस्य इन समितियों का अंशकालिक सदस्य होगा व वह अपनी समिति का कर्तव्य एवं दायित्यों का निर्वाह अपने निजी व्यवसाय के अलावा करेगा। वयोवृद्ध स्त्री व पुरूष, जो जीवन विद्या व वस्तु विद्या में पारंगत है उनको समितियों के अंशकालिक व पूर्णकालिक सदस्य होने का अवसर रहेगा। प्रत्येक समिति का विस्तृत कार्यक्रम अगले खंडों में विस्तार से दिया गया है। ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के लक्ष्य निम्न होंगे :–

  1. गाँव के प्रत्येक मानव को मानवीय शिक्षा संस्कार से सम्पन्न करना।
  2. प्रत्येक व्यक्ति को व्यवसाय में निपुणता–कुशलता को सहज सुलभ करना।
  3. प्रत्येक व्यक्ति को व्यवहार में सामाजिक बनाना।
  4. प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी उत्पादन कार्य में प्रवृत्त करना।

5. उत्पादित वस्तुओं को **विनिमय कोष** द्वारा, लाभ हानि मुक्त पद्धति से क्रय–विक्रय करने की व्यवस्था प्रदान करना और ग्रामवासियों के लिए आवश्यकीय वस्तुओं को उपलब्ध कराना।
6. प्रत्येक व्यक्ति को न्याय व सुरक्षा सहज सुलभ कराना। साथ ही सुधारवादी प्रक्रिया से, गलती व अपराधों का निराकरण करना।
7. प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति अवधारणा पूर्वक संकल्पबद्ध करना, व्यायाम व खेलों के लिए प्रोत्साहित करना, संक्रामक रोग–विरोधी टीकों की उपयोगिता से अवगत कराना। साथ ही सहज व सस्ती चिकित्सा की व्यवस्था करना।
8. प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान, परिवार व्यवस्था के प्रति विश्वास व निष्ठा उत्पन्न करना।
9. प्रत्येक व्यक्ति/परिवार अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करे, ऐसा सुनिश्चित उपाय करना।
10. ग्राम के लिए सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था करना।
11. व्यक्तित्व व प्रतिभा का संतुलन उदय हो, ऐसा सुनिश्चित उपाय करना।
12. प्रत्येक परिवार में भौतिक समृद्धि व बौद्धिक समाधान साक्षित करना, समस्त ग्रामवासियों की परस्परता में अभयता व सह–अस्तित्व चरितार्थ करना। **(अध्याय:9, पृष्ठ नंबर:262–264)**

- कर्तव्य व दायित्व :–
  1) ग्राम सभा पूर्ण रूप से ग्रामवासियों के प्रति उत्तरदायी होगी। साथ ही वह "ग्राम समूह सभा" के प्रेरणा व उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर निर्णय लेगी।
  2) सर्वेक्षण, आंकलन व अध्ययन के आधार पर प्रत्येक परिवार के लिए समयबद्ध स्वराज्य कार्य योजना बनाएगी व क्रियान्वयन के लिए विभिन्न समितियों को आवश्यक निर्देश देगी।
  3) ग्राम की पाँचो समितियों के साथ उनके अपने–अपने लक्ष्य प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग देगी व उनके लिए जो भी सुविधायें, तकनीकी ज्ञान आदि की आवश्यकता होगी उसे उपलब्ध करायेगी।
  4) "**विनिमय कोष**" व सरकारी बैंक के बीच संयोजन (एजेन्सी) का कार्य करेगी।
  5) पाँचों समितियों के कार्यों का समय–समय पर मूल्यांकन करेगी व उन्हें आवश्यक निर्देश देगी।
  6) सर्वेक्षण, आंकलन, अध्ययन व प्राथमिकताओं के आधार पर ग्राम में सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था करेगी। इस दिशा में यदि किसी समिति व अन्य संस्थाओं के सहयोग की आवश्यकता हुई तो उसे प्राप्त करेगी।
  7) निम्न सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था ग्रामसभा द्वारा की जायेगी –
     1) प्रत्येक परिवार के लिए आवास का प्रावधान। इसके लिए स्थानीय व्यक्तियों व वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग किया जावेगा।
     2) शोधन विधि द्वारा शुद्ध व पवित्र पीने के पानी की व्यवस्था।

3) पेयजल व मल जल की व्यवस्था करना।

4) कृषि के साथ पशु पालन आवश्यक होने के कारण "गोबर गैस प्लांट" द्वारा, गोबर गैस गाँव में सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराना। प्राकृतिक गैस उपलब्ध होने की स्थिति में, उसका सर्वाधिक उपयोग करने की, प्रणाली को विकसित करना।

5) गोबर खाद व कम्पोस्ट खाद के लिए व्यापक व्यवस्था करना।

6) सौर–ऊर्जा का सर्वाधिक प्रयोग करने की प्रणाली विकसित करना ताकि उसका उपयोग, पानी पंप करने, खाना पकाने, वाष्पीकरण, अनाज सुखाने, ठंडा या गर्म करने में किया जा सके, जिससे लकड़ी, कोयला आदि परंपरागत ईंधनों को जलाने से रोका जा सके। इसी संदर्भ में पवन चक्की व जल प्रवाह शक्ति की उपयोगिता की संभावना का पता लगाना व यदि संभव हुआ तो क्रियान्वयन करना।

7) प्रत्येक घर के साथ शौचालय व सामूहिक शौचालय की व्यवस्था करना।

8) सड़क मार्ग, रेल, यातायात–व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना व निकट की मंडियों व बाजारों की सड़कों से जोड़ना।

9) दूरभाष व दूरसंचार सेवा, डाक घर, बैंक आदि की व्यवस्था करना।

10) ग्राम के लिए पाठशाला, चिकित्सा केन्द्र, **विनिमय–कोष** के लिए भवन, गोदाम, बहुद्देश्यीय भवन की व्यवस्था करना जो न्याय सभा, संबोधन सभा, सांस्कृतिक–सभा, विवाह व मिलन–सभा, प्रार्थना सभा, स्वागत सभा व छाया के अंदर खेलने के लिए उपयोगी रहेगा। **(अध्याय:9, पृष्ठ नंबर:264–266)**

- 5. व्यवसाय शिक्षा के लिए "शिक्षा–संस्कार समिति" "उत्पादन सलाहकार समिति" व "**विनिमय–कोष समिति**" के साथ मिलकर कार्य करेगी व सम्मिलित रूप से यह तय करेगी कि ग्राम की वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, किस–किस व्यक्ति को, किस–किस व्यवसाय की शिक्षा दी जाए। "**विनिमय–कोष** समिति" ऐसे उपायों की जानकारी देगी, जिनकी गाँव से बाहर अच्छी मांग है। **(अध्याय:9, पृष्ठ नंबर:270)**
- वन वनोपज व वनौषधि :–

  गाँव सीमावर्ती वनों (यदि वे हैं तो) का प्रबंध, "उत्पादन–कार्य सलाहकार समिति" द्वारा किया जायेगा। वनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रत्येक गाँव वासी की होगी। वन से वनोपज व वनौषधियों के संग्रह की व्यवस्था उत्पादन सलाहकार समिति करेगी। कुछ ग्राम वासियों की आजीविका का साधन वनोपज व वनौषधियों का संग्रह करना ही होगा। उनके द्वारा संग्रह करने के आधार पर ही **विनिमय कोष** क्रय कर उनका मूल्य देगा।

  गाँव के लिए वनों से लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति सदुपयोगिता अनुसार "उत्पादन–कार्य सलाहकार समिति" तय करेगी ताकि वनों के संरक्षण में कोई कमी न आये। **(अध्याय:9, पृष्ठ नंबर:276–277)**

- खनिज :–

  स्थानीय विविध उत्पादनों, आवास निर्माण सड़क मार्ग आदि में लगने वाली खनिज वस्तुओं उचित स्थान से उपयोग करने की व्यवस्था "उत्पादन–कार्य सलाहकार समिति" द्वारा होगी। यदि खनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, व उसकी गाँव से बाहर भी मांग है, उस स्थिति में कुछ व्यक्ति खनिज–उत्पादन के आधार पर मूल्य "**विनिमय–कोष**" द्वारा दिया जायेगा। उत्पादित खनिजों का विनिमय, **विनिमय कोष** द्वारा ही किया जाएगा। उत्पादित खनिजों के स्थल में उनमें व्यवसाय मूल्य को स्थापित करने की व्यवस्था रहेगी। **(अध्याय:9, पृष्ठ नंबर:277)**

- हस्त शिल्प, हस्त कला संबंधी उत्पादन कार्य :–

  स्थानीय रुप से उपलब्ध, जानकारी व आवश्यकताओं के आधार पर गाँव के कुछ सदस्यों को निम्न कार्यों में लगाया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था "उत्पादन–कार्य सलाह समिति" करेगी। सभी उत्पादित वस्तुओं को **विनिमय–कोष** समिति खरीदेगी व वह उसका उचित मूल्य देगी।

  चित्र–कला, मूर्ति–कला, बुनाई, कढ़ाई, छपाई, सिलाई दस्तकारी, रंगाई, सूत कातना, सूखा पत्ता, कागजों से अलंकारिक स्वरुप देने का कार्य, ग्रिटिंग्स कार्ड बनाने का कार्य, एम्ब्राइडरी, इनग्रेव्हिंग का कार्य, स्थानीय अनुभवों के आधार पर तत्काल क्रियान्वयन करना व उनको और ज्यादा कुशल, उन्नत और प्रोत्साहित करने की व्यवस्था होगी। **(अध्याय:9, पृष्ठ नंबर:277–278)**

- 5. **स्वायत्त सहकारी विनिमय–कोष व्यवस्था –**

  गाँव में हर तरह का **विनिमय** "सहकारी **विनिमय–कोष** समिति" द्वारा संचालित "स्वायत्त सहकारी **विनिमय–कोष** द्वारा किया जायेगा। स्वायत्त का तात्पर्य समझदारी सहित आवश्यकता से अधिक उत्पादन। **विनिमय कोष**, गाँव की मुख्य संस्था होगी। इसका अपना अलग से संविधान होगा। यह संस्था लाभ–हानि मुक्त व्यवस्था पर कार्य करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य गाँव के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तुओं का क्रय करना व उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का विक्रय करना होगा। साथ ही यह **कोष** "उत्पादन–कार्य **विनिमय** सलाहकार समिति" व "शिक्षा समिति" के साथ मिलकर कार्य करेगी व व्यापारी करण के स्थान पर उत्पादनीकरण पर ध्यान देगी। **विनिमय कोष** की कार्य पद्धति निम्न प्रकार से होगी।

  विनिमय कोष (बैंक) नौकरी की मानसिकता को हटाकर उत्पादन की मानसिकता को लाने के लिए शिक्षा समिति के साथ सहयोग करेगा। यह गाँव में रह रहे सब व्यापारियों को होडिंग (संग्रह) के स्थान पर उत्पादनीकरण का कार्य के लिए प्रेरणा, व प्रशिक्षण भी देगा। इस तरह लाभ–हानि मुक्त उत्पादन व **विनिमय** व्यवस्था जो कि श्रम के आदान प्रदान व आवर्तनशीलता पर आचरित होगी, को स्थापित करने में **विनिमय कोष** कार्य करेगा।

  विनिमय व्यवस्था बैंकिग पद्धति पर आधारित होगी। प्रत्येक व्यक्ति जो स्थानीय सीमावर्ती निवासी है व उत्पादित वस्तुओं का विक्रय करता है और आवश्यकीय वस्तुओं का क्रय करता है, वह इस **कोष** का खातेदार (सदस्य)

होगा। प्रत्येक व्यक्ति का खाता **विनिमय कोष** में होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादित वस्तुओं को **विनिमय कोष** को बेचेगा। वस्तु मूल्य निकटस्थ बाजार भाव के आधार पर तय होगा (निकटस्थ बाजार में जाकर बेचने से, जो दाम मिलेंगे उसमें परिवहन मूल्य घटा दिया जायेगा। विक्रय मूल्य निकटस्थ बाजार भाव के अनुसार तय होगा।

कोष इसी तरह बाहर (शहर व अन्य बाजारों) से वस्तुओं को थोक भाव खरीदेगा व अपने सदस्यों को उपरोक्त पद्धति से बेचेगा। इसी तरह **कोष** में गाँव के सदस्यों द्वारा, बेची हुई वस्तुएँ, जो स्थानीय आवश्यकता से बच जायेगी, उन्हें शहर व अन्य बाजारों में बेचेगा व उनका मूल्य प्राप्त करेगा। इस क्रय विक्रय से जो कुछ भी अनायास लाभ होगा, उसको गाँव की सामान्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अर्पित किया जावेगा। यह कार्य ग्राम स्वराज्य सभा द्वारा संचालित किया जाएगा। इसी धन को गाँव के विकास पर खर्च किया जावेगा। **कोष** में प्रत्येक सदस्य की न्यूनतम राशि हमेशा जमा रहेगी ताकि **कोष** का कार्य सुचारु रुप से चलाया जा सके। जिसकी राशि नहीं होगी उसे **कोष**, ब्याज रहित ऋण देगा। जिसे वह सदस्य वस्तु का उत्पादन कर, कालान्तर में बैंक को विक्रय कर चुकता कर देगा।

जिन सदस्यों ने न्यूनतम से अधिक राशि, खाते में रखी है उनकी सहमति से, विनिमय कार्य के लिए आवश्यकता पड़ने पर, **विनिमय कोष**, उस धन राशि का उपयोग करेगा व अन्य राष्ट्रीय कृत बैंक से जो ब्याज मिलता है वह उनको देगा। यह विधि तब तक रहेगी, जब तक, बैंक व विनिमय–प्रणाली अलग–अलग रहेगी। पूरे देश में स्वराज्य व्यवस्था स्थापित होने पर लाभ–हानि मुक्त विनिमय प्रणाली स्थापित हो जाएगी।

गाँव से सभी प्रकार की कर वसूली का दायित्व **विनिमय कोष** का होगा। कर निर्धारण का कार्य ग्राम सभा करेगी।

संक्रमण काल में उपरोक्त बैंक का गारन्टी दार, राष्ट्रीय कृत सहकारी बैंक होगा जो आरंभ से उसे कार्यशील पूंजी व अन्य ऋण देगा। हानि की भर पाई करेगा। **विनिमय–कोष** ही आगे अपने सदस्यों को ऋण देगा व वह ही उनसे वसूली करेगा। प्रत्येक सदस्य जो ऋण लेगा वह उत्पादित वस्तुओं के रुप में **विनिमय कोष** का ऋण लौटा देगा।

विनिमय–कोष शनैः–शनैः सरकारी बैंक से ली गई पूंजी को लौटाता रहेगा। इस तरह सरकारी बैंक के रुपये का ज्यादातर उपयोग होगा।

आरंभ में समाज सेवी (प्रशिक्षण प्राप्त) व्यक्ति **विनिमय कोष** को चलावेंगे। बाद में स्थानीय व्यक्ति जब व्यवहार शिक्षा/व्यवसाय शिक्षा में पारंगत हो जावेंगे तब वह उस बैंक को चलावेंगे।

सौ परिवार समूह के गाँव के लिए औसतन तीन व्यक्ति **विनिमय कोष** को चलावेंगे। इसमें से एक व्यक्ति गाँव में उत्पादित वस्तुओं को, अन्य बाजार में बेचेगा व अन्य बाजारों से सामान क्रय कर, विनिमय बैंक में लाएगा। दूसरा व्यक्ति लेखा जोखा व खातों की देख–रेख करेगा। तीसरा व्यक्ति सामान का क्रय–विक्रय करेगा। व उनको भंडार में रखने की व्यवस्था करेगा। आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यक्तियों को भी **विनिमय कोष** में मनोनीत किया जा सकता है।

विनिमय–कोष के काम काज को सुगम बनाने के लिए कम्प्यूटर को प्रयोग में लाया जायेगा। कालान्तर में **विनिमय–कोष** व्यवस्था, पूरे राज्य व देश में, स्थापित हो जाने पर, ग्राम **विनिमय–कोष** क्रय से, ग्राम समूह क्षेत्र, जिला मंडल, मुख्य राज्य व प्रधान राज्य के **विनिमय कोष** समितियों के साथ आदान–प्रदान से जुड़ा रहेगी। "**विनिमय–कोष**" संविधान के अनुसार, कार्य करता रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी **विनिमय कोष** समिति की होगी। जो समय–समय पर खातेदार सदस्यों की सामान्य बैठक बुलाकर, उनके सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। सामान्य बैठक में बहुमत के आधार पर मार्ग–दर्शन प्राप्त कर सकेगा। **विनिमय कोष** समिति के कार्य का मूल्यांकन ग्राम सभा करेगी व समय–समय पर उन्हें मार्ग दर्शन देगी।

कृषि उपज और प्रौद्योगिकी उपज में श्रम मूल्य के आधार पर, मूल्यांकन को स्थापित करने वाली व्यवस्था रहेगी। **(अध्याय:9, पृष्ठ नंबर:279–283)**

- उत्पादन में न्याय
  1) प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना।
  2) प्रत्येक व्यक्ति में आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने योग्य कुशलता व निपुणता को स्थापित करना, जिसका दायित्व शिक्षा–संस्कार समिति को होगा।
  3) उत्पादन के लिए व्यक्ति में निहित क्षमता योग्यता के अनुरूप उसे प्रवृत करना जिसका दायित्व "उत्पादन कार्य सलाहकार समिति" का होगा।
  4) उत्पादन के लिए आवश्यकीय साधनों को सुलभ करना इसका दायित्व " **सहकारी विनिमय कोष समिति"** का होगा।
  5) उत्पादन कार्य सामान्य आकांक्षी (आहार, आवास, अलंकार) महत्वाकांक्षी (दूर दर्शन, दूर गमन, दूर श्रवण) सम्बन्धी वस्तुओं के रुप में प्रमाणित होना।

"उत्पादन कार्य सलाह समिति" व "**विनिमय कोष समिति"** संयुक्त रुप से सम्पूर्ण ग्राम की उत्पादन सम्बन्धी तादात, गुणवत्ता व श्रम मूल्यों का निर्धारण करेगी। **(अध्याय:9, पृष्ठ नंबर:289–290)**

- **विनिमय–कोष सलाहकार समिति का मूल्यांकन :–**

"**विनिमय–कोष** सलाहकार समिति" का मूल्यांकन निम्न आधार पर होगा :–

1) विनिमय सहजता व सुलभता का मूल्यांकन।
2) विनिमय में लाभ हानि मुक्त प्रणाली का मूल्यांकन।
3) विनिमय प्रणाली में स्वच्छत्ता का मूल्यांकन।
4) विनिमय क्रियाकलाप में, परिमाण, परिमापन, का मूल्यांकन।

5) **विनिमय कोष** द्वारा उत्पादन और सहायता का मूल्यांकन।

6) विनिमय श्रम में गुणवत्ता का मूल्यांकन।

7) स्थानीय रूप से खरीदने वाली वस्तुओं क्रय–मूल्य, उसके विक्रय मूल्य के आधार पर और ग्राम वासियों के लिए बाह्य बाजारों से क्रय किया गया वस्तुओं का मूल्यांकन (क्रय मूल्य के आधार पर)

साधन प्रबंधो का मूल्यांकन। **(अध्याय:9, पृष्ठ नंबर:297)**

मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान

(संस्करण: 2008)

- व्यवस्था में न्याय सुरक्षा सुलभता, **विनिमय कोष** सुलभता, उत्पादन कार्य सुलभता, स्वास्थ्य संयम सुलभता और मानवीय शिक्षा संस्कार सुलभता का संयुक्त रूप है। इसी व्यवस्था में जीने की कला, सम्बन्धों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, व्यवस्था में भागीदारी का, संयुक्त रूप में प्रकाशित होना पाया जाता है। यह मानव संस्कृति का मध्य बिंदु है। मानव अपनी संस्कृति को व्यक्त करता है। उस समय आवास, अलंकार, उत्सव, सम्मिलित उत्सव, मानवीयता का प्रकाशन, प्रदर्शन और प्रचार, ये सब प्रधान रूप में रहना स्वाभाविक है। **(अध्याय:5.21, पृष्ठ नंबर:140)**

मानवीय संविधान सूत्र व्याख्या

(संस्करण:प्रथम, मुद्रण:2007)

- 37. जागृति सहज मानव परंपरा:– समझदारी सहज सर्वतोमुखी समाधान के रूप में प्रमाणित करने का परंपरा। शिक्षा के रूप में प्रमाणित करने का परंपरा। शिक्षा–संस्कार, न्याय सुरक्षा, संयम, उत्पादन–कार्य **विनिमय–कोष**, स्वास्थ्य विधि से प्रमाण।
- स्वराज्य

  जागृत मानव परिवार मूलक समाधान–समृद्धि सहज वैभव।

  मानवीय शिक्षा–संस्कार, न्याय सुरक्षा, **विनिमय–कोष** , उत्पादन–कार्य, स्वास्थ्य संयम सुलभता का अविभाज्य वर्तमान और उसकी परम्परा।

  मानव चेतना सम्पन्न मानव परंपरा में मानवीय शिक्षा–संस्कार, स्वास्थ्य–संयम, न्याय–सुरक्षा, उत्पादन में दिशा और निपुणता, कुशलता, पांडित्य सहित व उत्पादित वस्तु, **विनिमय कोष**, व्यवस्थाओं का अविभाज्य वर्तमान और उसकी परंपरा वैभव है। **(अध्याय:2, पृष्ठ नंबर:19)**
- राष्ट्र

  राष्ट्र अपनी सम्पूर्णता में चारों अवस्था व पदों में यथा स्थिति उपयोगिता–पूरकता विधि सहज वैभव है।

  तात्विक = अखण्ड समाज सार्वभौम व्यवस्था का संयुक्त स्थिति गति ही राष्ट्र है।

  बौद्धिक = जागृत मानव परम्परा, मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान सर्वसुलभ होना, वर्तमान है।

  व्यवहारिक = अस्तित्व मूलक मानव केन्द्रित चिन्तन मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्व–वाद–शास्त्र एवं विगत से प्राप्त मानवोपयोगी उत्पादन कार्यों में प्रयुक्त होने का सम्पूर्ण तकनीकी समेत शिक्षा– संस्कार, न्याय–सुरक्षा, उत्पादन–कार्य, **विनिमय–कोष** और स्वास्थ्य–संयम सहित अखण्ड समाज सार्वभौम व्यवस्था रूप में परम्परा का होना। **(अध्याय:4, पृष्ठ नंबर:36–37)**
- प्रभुसत्ता

  तात्विक = प्रबुद्धता पूर्ण सत्ता ज्ञान विवेक विज्ञान सहज परम्परा सूत्र व्यख्या।

  बौद्धिक = प्रबुद्धता सहज निरंतर प्रमाण सहज सत्ता में जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने का क्रिया।

  व्यवहारिक = प्रबुद्धता पूर्ण मानव परम्परा ही पीढ़ी से पीढ़ी में शिक्षा–दीक्षा संस्कार रुप में सत्ता= अखण्डता सार्वभौमता रुपी वैभव परंपरा।

  प्रभुसत्ता सहज निरन्तरता ही जागृत मानव चेतना सहज परम्परा है। शिक्षा–संस्कार, उत्पादन–कार्य, न्याय–सुरक्षा, स्वास्थ्य–संयम, **विनिमय –कोष** कार्य ही जागृत मानव परम्परा है। **(अध्याय:4, पृष्ठ नंबर:38)**

- राष्ट्रीय–चरित्र
    - मानवीय शिक्षा–संस्कार सुलभता प्रमाण परम्परा,
    - न्याय–सुरक्षा सुलभता प्रमाण परम्परा,
    - उत्पादन–कार्य सुलभता प्रमाण परम्परा,
    - **विनिमय–कोष** सुलभता प्रमाण परम्परा,
    - स्वास्थ्य संयम सुलभता प्रमाण परम्परा,
    - मानवीयता पूर्व आचरण सुलभता प्रमाण परम्परा,
    - परस्पर निश्चित संबंधों, निश्चित मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन सुलभता प्रमाण परंपरा,
    - परस्पर तृप्ति समाधान–समृद्धि, वर्तमान में विश्वास (अभय), सहअस्तित्व में प्रमाण सहज परम्परा,

  नैसर्गिक और ऋतु संतुलन सुलभता में भागीदारी परम्परा ही राष्ट्रीय चरित्र है। जागृत मानव परम्परा ही सार्वभौम व्यवस्था सहज विधि से प्राकृतिक संतुलन सहित सूत्र व्याख्या का जिम्मेदार है। **(अध्याय:4, पृष्ठ नंबर:39)**
- परिवार मूलक स्वराज्य कार्य व्यवस्था स्वरूप

  स्वरूप

  मानवीय शिक्षा संस्कार सुलभता, न्याय सुरक्षा सुलभता, उत्पादन कार्य सुलभता, **विनिमय कोष** सुलभता, स्वास्थ्य संयम सुलभता, यही सार्वभौम व्यवस्था स्वरूप अखंड समाज के अर्थ में ही सार्थक होता है।

  (अध्याय:6, पृष्ठ नंबर:95)
- 8. मानवीय शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य सुलभता, **विनिमय कोष** सुलभता, स्वास्थ्य संयम सुलभता, यही प्रधानत: कार्य सहज उद्देश्य–दायित्व–कर्तव्य है। इनमें समानाधिकारहै। **(अध्याय:6, पृष्ठ नंबर:97)**
- व्यवस्था के कार्यक्रम (समितियाँ)

  शिक्षा–संस्कार कार्य–व्यवस्था समिति

  सार्वभौम न्याय–सुरक्षा कार्य–व्यवस्था समिति

  उत्पादन–कार्य–व्यवस्था समिति

  विनिमय–कोष कार्य–व्यवस्था समिति

  स्वास्थ्य–संयम कार्य–व्यवस्था समिति **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर:101)**
- **विनिमय में न्याय**

  तात्विक रूप में परिभाषा **विनिमय** :– नियम–नियंत्रण–संतुलन पूर्वक उत्पादित वस्तुओं का उपयोगिता–पूरकता विधि से आदान–प्रदान समाधान एवं न्याय है।

बौद्धिक रूप में परिभाषा विनिमय :– विकास व जागृति संगत उपयोगिता पूरकता सहज निरन्तरता में–से–के लिए नियम–नियन्त्रण–सन्तुलन विधि से उत्पादित वस्तुओं का श्रम मूल्य के आधार पर आदान–प्रदान समाधान एवं न्याय है।

व्यवहारिक रूप में परिभाषा विनिमय :– श्रम नियोजन, उपयोगिता प्रमाण, मूल्यांकन उपयोगिता के आधार पर श्रम मूल्य का आदान–प्रदान समाधान एवं न्याय है।

प्रणाली :– दस सोपानीय व्यवस्था में श्रम मूल्य का मूल्यांकन सामान्यीकरण परंपरा समाधान एवं न्याय है।

पद्धति :– **विनिमय–कोष** परंपरा एवं कोषों के परस्परता में समन्वयता समाधान एवं न्याय है।

नीति :– दस सोपानीय परिवार–सभा में समन्वय निश्चयन परंपरा समाधान एवं न्याय है।

प्रयोजन :– लाभ–हानि मुक्त विनिमय और प्रत्येक परिवार में समृद्धि सहज प्रमाण, ज्यादा–कम से मुक्ति समाधान एवं न्याय है। समृद्धि ज्यादा–कम से मुक्ति है।

विनिमय में न्याय

1. हर जागृत मानव–परिवार सहज आवश्यकता की पहचान न्याय है।
2. हर जागृत मानव परिवार में सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना न्याय है।
3. जागृत मानव परिवार में उत्पादित वस्तुओं का मूल्यांकन (श्रम+उपयोगिता = वस्तु मूल्य) करना न्याय है।
4. जागृत मानव–परिवार में उत्पादित वस्तुओं का श्रम, उपयोगिता के आधार पर विनिमय करना न्याय है।
5. श्रम–शीलता को निपुणता–कुशलता–पांडित्य के रूप में स्वीकार करना न्याय है।
6. निपुणता–कुशलता पूर्वक श्रम–नियोजन की स्वीकृति पाण्डित्य सहज विधि से मूल्यांकन करना न्याय है।
7. पांडित्य पूर्वक किया गया मूल्यांकन होने की स्वीकृति व प्रक्रिया न्याय है।
8. मूल्यांकन पूर्वक समाधानित रहने का प्रमाण न्याय है।

सामान्य आकाँक्षा सम्बन्धी वस्तुओं को पाकर समृद्धि का, महत्वाकाँक्षा सम्बन्धी वस्तुओं को आवश्यकता के अनुरूप पाकर समाज गति में सदुपयोग सहज प्रमाण रूप में सत्यापन करना न्याय है। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर:123–125)**

- स्वावलंबन आत्मनिर्भरता (समाधान) में न्याय
  1. हर मानव जागृत परंपरा में अनुभव व अनुभव सहज प्रमाण क्रिया के रूप में प्रतिष्ठा है।
  2. अनुभव ही प्रमाण परम है। यही समाधान है।
  3. अनुभव मूलक विधि से ही आत्म–निर्भरता सहज सूत्र व्यवस्था स्पष्ट है।

4. सहअस्तित्व में अनुभव होना जागृत मानव परंपरा में समाधान वैभव है।
5. अनुभव पूर्वक ही हर नर–नारी समझदारी–ईमानदारी–जिम्मेदारी–भागीदारी करना प्रमाण है। यही आत्म–निर्भरता है। यही न्याय है।
6. समझदारी के आधार पर विवेक सम्मत विज्ञान, विज्ञान सम्मत विवेक पूर्वक हर नर–नारी समाधान सम्पन्न होते हैं। तभी उत्पादन से स्वावलम्बन आत्म निर्भरता न्याय है।
7. समाधान पूर्वक ही हर आयाम, कोण, दिशा, परिप्रेक्ष्य में सफलता सहित निर्णय लिया जाता है। यह आत्मनिर्भरता न्याय है।
8. सहअस्तित्व, समृद्धि, अभयता पूर्वक जीने के लिये समाधान पूर्वक निर्णय लिया जाता है। यह आत्म निर्भरता न्याय है।
9. परिवार–व्यवस्था में जीने के लिए हर नर–नारी समाधान पूर्वक निर्णय लेना सहज है। यह आत्म निर्भरता न्याय है।
10. हर परिवार अपने सन्तान को आत्मनिर्भर सम्पन्न होने के लिए पोषण–संरक्षण पूर्वक अनुभवगामी प्रेरणा स्रोत है। यह आत्म निर्भरता न्याय है।
11. आत्मनिर्भरता पूर्वक ही हर नर–नारी मानवीयता पूर्ण आचरण करते हैं। यह आत्म निर्भरता समाधान व न्याय है।
12. शिक्षा–संस्कार, न्याय–सुरक्षा, उत्पादन–कार्य, **विनिमय–कोष**, स्वास्थ्य– संयम कार्यों को प्रमाणित करना आत्मनिर्भरता न्याय है।

अखण्ड समाज, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना आत्म निर्भरता सर्वतोमुखी समाधान न्याय है। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर:125–126)**

- ग्राम–मोहल्ला परिवार सभा में न्याय
  1. दस परिवार समूह सभा से निर्वाचित दस सदस्यों की सभा गठित होगी जिसका नाम ग्राम–मोहल्ला–परिवार सभा होगा। हर ग्राम–मोहल्ला का नाम रहता ही है। यह समाधान व न्याय है।
  2. ग्राम–मोहल्ला–परिवार सभा के लिये निर्वाचित सभी सदस्य समान स्वत्व, स्वतंत्रता अधिकार सम्पन्न रहेंगे और आत्म निर्भर रहेंगे। यह न्याय है।
  3. आत्म निर्भरता प्रत्येक जन प्रतिनिधि में समाधान–समृद्धि सम्पन्नता सहित स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा व व्यक्तित्व में सन्तुलन, व्यवहार में सामाजिक, उत्पादन रूपी व्यवसाय में स्वावलम्बी परिवार प्रतिनिधि रहेंगे। यह समाधान व न्याय है।

4. गांव मोहल्ले में कोई व्यक्ति पहुँचे तो वे पहले से पहचान अथवा चिन्हित अथवा सूचित रहेंगे। इसके अतिरिक्ति जो अपरिचित होंगे उनका परिचय पाने का अधिकार ग्राम–मोहल्ला–परिवार सभा के सभी सदस्यों को होगा। ऐसे लोगों की पहचान प्रमाण प्राप्त करने का अधिकार रहेगा यह न्याय है।
5. ग्राम सभा अपने स्व विवेक से पाँच समितियों के लिए स्थानीय प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों को मनोनीत करेगी। वे सब आत्म निर्भर परिवार के सदस्य होंगे। ये समितियां शिक्षा–संस्कार, न्याय–सुरक्षा, उत्पादन–कार्य , **विनिमय–कोष**, स्वास्थ्य–संयम के कार्य संपादित करेंगे, यह न्याय है।
6. सभायें समितियों की कार्य प्रणालियों व कर्तव्यों का निर्धारण–निर्देशन करेगी। उसे हर समितियाँ स्वीकार पूर्वक कार्य व मूल्यांकन करने तथा निरीक्षण करने के अधिकार से सम्पन्न रहेगी, यह न्याय है। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर:129–130)**

- **विनिमय कोष कार्य व्यवस्था**

स्वरूप

गाँव में हर तरह का विनिमय ''**विनिमय–कोष** समिति'' द्वारा संचालित ''ग्राम स्वायत्त **विनिमय–कोष**'' द्वारा किया जायेगा। **विनिमय कोष** ग्राम स्वराज्य सभा में से अंगभूत कार्यकलाप होगा। इसका अपना कार्य नीति संविधान सम्मत होगा। यह संस्था लाभ–हानि मुक्त व्यवस्था पर कार्य करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य गाँव के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विनिमय करना व उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का विनिमय करना होगा। साथ ही यह **कोष** ''उत्पादन कार्य सलाह समिति'' व ''शिक्षा–संस्कार समिति'' के साथ मिलकर कार्य करेगी व श्रम मूल्य आधारित नियम के आधार पर विनिमय में ध्यान देगी। **विनिमय कोष** की कार्य पद्धति निम्न प्रकार से होगी :–

विनिमय कोष नौकरी की मानसिकता को हटाकर उत्पादन की मानसिकता को लाने के लिए शिक्षा समिति के साथ सहयोग करेगा। वह गाँव में रह रहे सब व्यापारियों को ट्रेडिंग (संग्रह) के स्थान पर उत्पादनीकरण का कार्य के लिए प्रेरणा, ट्रेनिंग देगा। इस तरह लाभ–हानि मुक्त उत्पादन में विनिमय व्यवस्था जो कि श्रम के आदान–प्रदान व आवर्तनशीलता पर होगी, को स्थापित संचालित करने में **विनिमय कोष** कार्य करेगा।

कार्य

विनिमय व्यवस्था उत्पादित वस्तु का सुरक्षा पूर्वक विनिमय पद्धति पर आधारित होगी। प्रत्येक व्यक्ति जो स्थानीय सीमावर्ती निवासी है व उत्पादित वस्तुओं का विनिमय करता है और आवश्यकीय वस्तुओं को प्राप्त करता है, वह इस **कोष** का खातेदार सदस्य होगा। प्रत्येक परिवार का खाता **विनिमय कोष** में होगा। प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादित वस्तुओं को **विनिमय कोष** को विनिमय के लिए प्रस्तुत करेगा। वस्तु मूल्य श्रम मूल्य के आधार पर तय होगा (निकटस्थ बाजार में जाकर बेचने से जो दाम मिलेंगे उसमें परिवहन मूल्य घटा कर)। जब तक आस–पास स्वराज्य व्यवस्था स्थापित ना हो तब तक निकटस्थ बाजार भाव अघोषित रूप

में रहेगा, इस आय–व्यय स्पष्टता का आलेख **विनिमय कोष** में रहेगा। इस मूल्य को सदस्य के खाते में उसी दिन जमा कर दिया जाएगा। इसी तरह **कोष** प्रत्येक सदस्य को वस्तुओं का विनिमय करेगा व उनके श्रम मूल्यानुसार, उनके खाते में उतना मूल्य घटा–बढ़ा दिया जायेगा।

कोष इसी तरह बाहर (शहर व अन्य बाजारों) से वस्तुओं को थोक भाव में खरीदेगा व अपने सदस्यों को उपरोक्त पद्धति से विनिमय करेगा। इसी तरह **कोष** में गाँव के सदस्यों द्वारा विनिमय के लिए प्रस्तुत वस्तुएँ, जो स्थानीय आवश्यकता से बच जायेगी, उन्हें शहर व अन्य बाजारों में बेचेगा व उनका मूल्य प्राप्त करेगा, और उन–उन के खाते में जमा करेगा यह कार्य ग्राम स्वराज्य सभा द्वारा संचालित किया जाएगा। **कोष** में प्रत्येक सदस्य की न्यूनतम वस्तु हमेशा जमा रहेगी ताकि **कोष** का कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। जिसकी राशि नहीं होगी उसे **कोष**, ब्याज रहित ऋण देगा। जिसे वह सदस्य वस्तु का उत्पादन कर कालान्तर में **कोष** को लौटा देगा।

दायित्व

जिन सदस्यों ने न्यूनतम से अधिक राशि खाते में रखी है, उनकी सहमति से, विनिमय कार्य के लिए आवश्यकता पड़ने पर, **विनिमय कोष**, उस धन राशि का उपयोग करेगा व अन्य राष्ट्रीय कृत बैंक से जो ब्याज मिलता है वह उनको देगा। यह विधि तब तक रहेगी, जब तक बैंक विनिमय–प्रणाली अलग–अलग रहेगी।

गाँव से सभी प्रकार की कर वसूली का दायित्व **विनिमय कोष** का होगा। कर निर्धारण का कार्य ग्राम सभा करेगी।

उपरोक्त बैंक का गारन्टीदार राष्ट्रीय कृत सहकारी बैंक होगा जो आरंभ से उसे कार्यशील पूंजी व अन्य ऋण देगा, हानि की भरपाई करेगा। **विनिमय कोष** ही आगे अपने सदस्यों को ऋण देगा वह उत्पादित वस्तुओं के रूप में विनिमय बैंक का ऋण लौटा देगा।

विनिमय कोष शनै:–शनै: सरकारी बैंक से ली गई पूंजी को लौटाता रहेगा। इस तरह सरकारी बैंक के रूपये का ज्यादातर उपयोग होगा।

विनिमय कोष कार्य समिति

आरंभ में समाज सेवी (प्रशिक्षण प्राप्त) व्यक्ति **विनिमय कोष** को चलावेंगे। बाद में स्थानीय व्यक्ति जब व्यवहार–शिक्षा व व्यवसाय–शिक्षा में पारंगत हो जावेंगे तब वह उस बैंक को चलावेंगे।

सौ परिवार समूह के गाँव के लिए औसतन तीन व्यक्ति **विनिमय कोष** को चलावेंगे। इसमें से एक व्यक्ति गाँव में उत्पादित वस्तुओं को अन्य बाजार में बेचेगा व अन्य बाजारों से सामान्य क्रय कर **विनिमय कोष** में लाएगा। दूसरा व्यक्ति लेखा–जोखा व खातों की देख–रेख करेगा। तीसरा व्यक्ति सामान का विनिमय करेगा व उनको भंडार में रखने की व्यवस्था करेगा। आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यक्तियों को भी **विनिमय कोष** कार्य के लिए नियत करेगा। **विनिमय कोष** के काम–काज को सुगम बनाने के लिए कम्प्यूटर को प्रयोग में लाया जायेगा। कालान्तर में **विनिमय कोष** व्यवस्था पूरे राज्य व देश में स्थापित हो जाने पर ग्राम **विनिमय कोष** क्रम से ग्राम समूह क्षेत्र , जिला मंडल, मुख्य राज्य व प्रधान राज्य के **विनिमय कोष** समितियों के साथ आदान–प्रदान से जुड़ारहेगा। ''**विनिमय कोष**"

संविधान के अनुसार कार्य करता रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी **विनिमय कोष** समिति की होगी। जो समय–समय पर खातेदार सदस्यों की सामान्य बैठक बुलाकर, उनके सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। सामान्य बैठक में बहुमत के आधार पर मार्ग–दर्शन प्राप्त करेगा।

मूल्यांकन व्यवस्था

विनिमय कोष समिति के कार्य का मूल्यांकन ग्राम सभा करेगी व समय–समय पर उन्हें मार्ग दर्शन देगी। कृषि उपज और प्रौद्योगिकी उपज में श्रम मूल्य के आधार पर मूल्यांकन को स्थापित करने वाली व्यवस्था रहेगी। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर:158–161)**

- **(ग्राम/ मोहल्ला व्यवस्था)**

8.6 कार्यशैली :–

प्रत्येक ग्राम सभा, ''ग्राम स्वराज्य व्यवस्था'' को स्थापित करने के लिए निम्न 5 समितियों का गठन ग्राम सभा से मनोनीत सदस्य करेंगे :–

1. मानवीय शिक्षा संस्कार समिति
2. उत्पादन कार्य व सलाहकार समिति
3. **वस्तु विनिमय कोष समिति**
4. स्वास्थ्य संयम समिति
5. मानवीय न्याय सुरक्षा समिति

उपर्युक्त समितियां ग्राम सभा के मार्ग दर्शन के आधार पर कार्य करेंगी। उपरोक्त समितियां क्रम से ग्राम में शिक्षा संस्कार व्यवस्था, उत्पादन कार्य व्यवस्था, **विनिमय कोष** व्यवस्था, स्वास्थ्य संयम व्यवस्था व न्याय सुरक्षा व्यवस्था को सर्व सुलभ करेगी। उपरोक्त समिति के सदस्यों का मनोनयन ग्राम सभा करेगी। प्रत्येक मनोनीत सदस्य इन समितियों के लिए अंश–कालिक सदस्य होगा एवं वह अपनी समिति का कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वाह अपने निजी व्यवसाय के अलावा करेगा। वयोवृद्ध स्त्री व पुरुष, जो जीवन–विद्या व वस्तु–विद्या में पारंगत होंगे, उनको समितियों के अंश कालिक व पूर्ण कालिक सदस्य होने का अवसर रहेगा। प्रत्येक समिति का विस्तृत कार्यक्रम अगले खंडों में विस्तार से दिया गया है। ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के लक्ष्य निम्न होंगे :–

1. गाँव के प्रत्येक मानव को मानवीय शिक्षा–संस्कार से संपन्न करना।
2. प्रत्येक व्यक्ति को तकनीकी में निपुणता–कुशलता को सजह सुलभ करना।
3. प्रत्येक व्यक्ति को व्यवहार में सामाजिक होने के लिए ज्ञान–विवेक–विज्ञान सहज शिक्षा संस्कार सर्व सुलभ करना जिससे न्याय सुरक्षा प्रमाणित हो।
4. प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी उत्पादन कार्य में प्रवृत्त प्रोत्साहित करना।

5. उत्पादित वस्तुओं को **विनिमय–कोष** द्वारा लाभ–हानि मुक्त पद्धति से लेन–देन करने की व्यवस्था प्रदान करना और ग्राम वासियों के लिए आवश्यकीय वस्तुओं को उपलब्ध कराना **विनिमय कोष** कर्तव्य रहेगा।
6. प्रत्येक व्यक्ति को न्याय व सुरक्षा सहज सुलभ कराना। साथ ही सुधारवादी–प्रक्रिया से गलती व अपराध प्रवृत्तियों का निराकरण करना।
7. प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति स्वस्थ रहने का अवधारणापूर्वक संकल्प बद्ध करना, व्यायाम व खेलों के लिए प्रोत्साहित करना, संक्रामक रोग–निरोधी उपायों की उपयोगिता से अवगत कराना। साथ ही हर परिवार में सहज व उपकारी चिकित्सा की व्यवस्था करना।
8. प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान, ग्राम जीवन, परिवार–व्यवस्था के प्रति विश्वास व निष्ठा उत्पन्न करना। प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन रहने में निष्ठा स्थापित करना।
9. प्रत्येक व्यक्ति / परिवार अपनी आवश्कता से अधिक उत्पादन करे, ऐसा सुनिश्चित उपाय करना।
10. ग्राम के लिए सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था करना।
11. व्यक्तित्व व प्रतिभा का संतुलित उदय हो, ऐसा सुनिश्चित उपाय करना। इसके लिए समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी पूर्वक जीने में निष्ठा सम्पन्न करना।
12. प्रत्येक परिवार में भौतिक समृद्धि व बौद्धिक समाधान साक्षित होने का उपाय करना, समस्त ग्राम वासियों की परस्परता में अभयता व सह–अस्तित्व चरितार्थ होने का सभी उपाय करना। **(अध्याय:8, पृष्ठ नंबर:166–168)**

- **(ग्राम/ मोहल्ला व्यवस्था)**

8.7 ग्राम मोहल्ला परिवार सभा सदस्यों का कर्तव्य व दायित्व

1. समझदारी से समाधान एवं श्रम से समृद्धि सिद्धांत पर ग्राम सभा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेगा।
2. ग्राम सभा पूर्ण रूप से ग्रामवासियों के प्रति उत्तरदायी होगी। साथ ही वह ''ग्राम समूह सभा'' के प्रेरणा व उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर निर्णय लेगी।
3. सर्वेक्षण, आंकलन व अध्ययन के आधार पर चिन्हित प्रयोजनार्थ प्रत्येक परिवार के लिए समयबद्ध स्वराज्य व्यवस्था सहज कार्य योजना बनाएगी व क्रियान्वयन के लिए विभिन्न समितियों को आवश्यक निर्देश देगी।
4. ग्राम की पाँचों समितियों के साथ उनके अपने–अपने लक्ष्य प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग देगी व उनके लिए जो भी सुविधायें, तकनीकी ज्ञान, विज्ञान आदि की आवश्यकता होगी उसे उपलब्ध कराएगी।
5. ''**विनिमय कोष**'' आवश्यकता के आधार पर सरकारी बैंक के बीच संयोजन (एजेंसी) का कार्य करेगी।
6. पाँचों समितियों के कार्यों का समय–समय पर मूल्यांकन करेगी व उन्हें आवश्यक निर्देश देगी।
7. सर्वेक्षण, आंकलन, अध्ययन व प्राथमिकताओं के आधार पर ग्राम में सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था करेगी। इस दिशा में यदि किसी समिति व अन्य संस्थाओं के सहयोग की आवश्यकता हुई तो उसे प्राप्त करेगी।

8. निम्न सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था ग्राम सभा द्वारा की जायेगी–

    1. प्रत्येक परिवार के लिए आवास का प्रावधान। इसके लिए स्थानीय व्यक्तियों व वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग किया जावेगा।
    2. सस्ती शोधन विधि द्वारा शुद्ध व पवित्र पीने के पानी की व्यवस्था।
    3. जल–मल निकासी की व्यवस्था करना।
    4. कृषि के साथ पशुपालन आवश्यक होने के कारण ''गोबर–गैस प्लांट'' द्वारा, गोबर–गैस गाँव में सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराना। प्राकृतिक गैस उपलब्ध होने की स्थिति में उसका सर्वाधिक उपयोग करने की प्रणाली को विकसित करना।
    5. गोबर खाद का कंपोस्ट खाद के लिए व्यापक व्यवस्था करना।
    6. सौर–ऊर्जा का सर्वाधिक प्रयोग करने की प्रणाली विकसित करना ताकि उसका उपयोग पानी पंप करने, खाना पकाने, वाष्पीकरण, अनाज सुखाने, ठंडा या गर्म करने में किया जा सके, जिससे लकड़ी, कोयला आदि परंपरागत ईधनों को जलाने से रोका जा सके। इसी संदर्भ में पवन चक्की व जल प्रवाह शक्ति की उपयोगिता की संभावना का पता लगाना व क्रियान्वयन करना।
    7. प्रत्येक घर के साथ शौचालय व सामूहिक शौचालय की व्यवस्था करना। शौचालय से बहते पानी को कृषि उद्यान में उपयोग करना।
    8. सड़क मार्ग, रेल यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना व निकट की मंडियों व बाजारों को सड़कों से जोड़ना।
    9. दूरभाष व दूर संचार सेवा, डाक घर, बैंक, चिकित्सा आदि की व्यवस्था करना।
    10. ग्राम के लिए पाठशाला, चिकित्सा केन्द्र **विनिमय–कोष** के लिए भवन, गोदाम, बहुद्देशीय भवन की व्यवस्था करना जो न्याय सभा, संबोधन सभा, सांस्कृतिक सभा, विवाह व मिलन सभा, प्रार्थना सभा, स्वागत सभा व छाया के अंदर खेलने के लिए उपयोगी रहेगा। **(अध्याय:8, पृष्ठ नंबर: 168–170)**

- (ग्राम में शिक्षा संस्कार समिति)

  6. व्यवसाय शिक्षा के लिए ''शिक्षा संस्कार समिति'' "उत्पादन सलाहकार समिति" एवं "वस्तु **विनिमय कोष** समित'' के साथ मिलकर कार्य करेगी व सम्मिलित रूप से यह तय करेगी कि ग्राम की वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, किस–किस व्यक्ति को, किस–किस उत्पादन की शिक्षा दी जाए। ''**विनिमय कोष** समिति'' ऐसे उपायों की जानकारी देगी, जिनकी गाँव के बाहर अच्छी माँग है व जिसे वह अच्छी कीमत पर विनिमय कर सकती है। **(अध्याय:8, पृष्ठ नंबर: 173–174)**

- उत्पादन में न्याय :–

  1) प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना।

  2) प्रत्येक व्यक्ति में आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने योग्य कुशलता व निपुणता को स्थापित करना, जिसका दायित्व शिक्षा संस्कार समिति को होगा।

  3) उत्पादन के लिए व्यक्ति में निहित क्षमता योग्यता के अनुरूप उसे प्रवृत्त करना जिसका दायित्व ''उत्पादन कार्य सलाह समिति" का होगा।

  4) उत्पादन के लिए आवश्यकीय साधनों को सुलभ करना इसका दायित्व "**विनिमय कोष समिति**" का होगा।

  5) उत्पादन कार्य सामान्य आकाँक्षा (आहार, आवास, अलंकार) महत्वाकाँक्षा (दूर दर्शन, दूर गमन, दूर श्रवण) सम्बन्धी वस्तुओं के रूप में प्रमाणित होना।

  6) "उत्पादन कार्य सलाह समिति" व "**विनिमय कोष समिति**" संयुक्त रूप में सम्पूर्ण ग्राम की उत्पादन सम्बन्धी तादाद, गुणवत्ता व श्रम मूल्यों का निर्धारण करेगी। **(अध्याय:8, पृष्ठ नंबर:181–182)**

- 8.9 (4) **विनिमय कोष समिति**

  आरंभ में समाज सेवी (प्रशिक्षण प्राप्त) समझ सहित समाधान समृद्धि सम्पन्न व्यक्ति **विनिमय कोष** कार्य में भागीदारी करेंगे।

  सौ परिवार के गांव के लिए अनुमानत: कम से कम तीन व्यक्ति **विनिमय कोष** में भागीदारी करेंगे। इसमें से एक व्यक्ति गाँव में उत्पादित वस्तुओं के अन्य स्थानों में, बाजारों में विक्रय करेगा एवं अन्य स्थान व बाजारों से वस्तुओं को विनिमय पूर्वक अथवा क्रय विधि से **विनिमय कोष** में लायेगा। दूसरा व्यक्ति लेखा जोखा व खातों की देख–रेख करेगा। तीसरा व्यक्ति सामान का लेन–देन करेगा व उनको भंडार में रखने की व्यवस्था करेगा। आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यक्तियों को भी **विनिमय कोष** में भर्ती किया जा सकता है।

  विनिमय कोष के काम काज को सुगम बनाने के लिए कम्प्यूटर को प्रयोग में लाया जायेगा। क्रम से **विनिमय कोष** व्यवस्था, पूरे राज्य व देश में, स्थापित हो जाने पर, ग्राम **विनिमय कोष** क्रम से, ग्राम समूह क्षेत्र , जिला मंडल, मुख्य राज्य व प्रधान राज्य के **विनिमय कोष** समितियों के साथ आदान–प्रदान से जुड़ारहेगा। ''**विनिमय कोष**" संविधान के अनुसार, कार्य करता रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी **विनिमय कोष** समिति की होगा जो समय–समय पर खातेदार सदस्यों की सामान्य बैठक बुलाकर, उनके सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। सामान्य बैठक में बहुमत के आधार पर मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। **(अध्याय:8, पृष्ठ नंबर:187–188)**

- **विनिमय कोष सलाहकार समिति का मूल्यांकन**

  ''**विनिमय कोष सलाह समिति"** का मूल्यांकन निम्न आधार पर होगा :–

  1. विनिमय सहजता व सुलभता का मूल्यांकन।
  2. विनिमय में लाभ हानि मुक्त प्रणाली का मूल्यांकन।
  3. विनिमय प्रणाली में स्व'छता का मूल्यांकन।
  4. विनिमय क्रिया कलाप में, गुणवत्ता, परिमाण, परिमापन, का मूल्यांकन।
  5. विनिमय कोष द्वारा उत्पादन में प्रोत्साहन और सहायता का मूल्यांकन।
  6. विनिमय श्रम में गुणवत्ता का मूल्यांकन।
  7. स्थानीय रूप से वस्तुओं का आदान प्रदान सुलभ रहेगा। बाह्य बाजारों से क्रय किया गया वस्तुओं का मूल्यांकन क्रय मूल्य के आधार पर आधारित रहेगा।
  8. साधन प्रबंधों का मूल्यांकन। **(अध्याय:8, पृष्ठ नंबर:190)**

- कार्यक्रम – 5

  विनिमय कोष समिति से सत्यापन

  1. हर ग्राम सभा से मनोनीत अनुप्राणित विनिमय कोष समितियाँ विनिमय के लिए प्रस्तुत ग्राम के सभी वस्तुओं का भण्डारण व विनिमय, ग्राम में जो वस्तुएँ उत्पादित नहीं हो पाई उसे अन्य ग्राम से विनिमय पूर्वक प्राप्त करना निहित कार्यक्रम है।
  2. हर विनिमय–कोष–समिति में भण्डारण प्रबन्धन रहेगा।
  3. हर विनिमय कोष समिति सदस्य परिवार और परिवार–समूह सभाओं के द्वारा किये गये वस्तुओं के मूल्यांकन में सहमत और पुनर्मूल्यांकन करने में ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने का अधिकार निहित रहेगा।
  4. ग्राम में हर परिवार गत आवश्यकता के आधार पर वस्तु विनिमय विधि से उपलब्ध कराने का दायी (ग्राम सभा की होगी) होगा। **(अध्याय:9, पृष्ठ नंबर:195)**

- **विनिमय उत्सव घोषणा**

  उत्सव

  1. उत्पादन कार्य व सफलता।
  2. **विनिमय कोष**–कार्य व सफलता का।
  3. स्वास्थ्य–संयम–कार्य व सफलता का मूल्यांकन उन समितियों के सदस्य एक परिवार समूह सभा के सदस्यों का संयुक्त निरीक्षण–परीक्षण, ग्राम–सभा पटल में सूचना।
  4. स्वास्थ्य संयमोत्सव हर वर्ष कम से कम एक बार सम्पन्न होगा। **(अध्याय:9, पृष्ठ नंबर:209–210)**

- समृद्धि प्रमाण घोषणा

विनिमय कोष

1. विनिमय सुलभता परीक्षण–निरीक्षण विनिमय कोष समिति सदस्य व परिवार–समूह सभा सदस्यों का संयुक्त रूप में ग्राम–सभा पटल में सूचना।
2. विनिमय विधि से सुधार व बदलाव होने की आवश्यकता के अनुसार ग्राम सभा की स्वीकृति और परिवार–समूह–सभा के प्रस्ताव के आधार पर होगा।
3. विनिमय सुलभता हर परिवार में–से–के लिए सहज होना ही उद्देश्य रहेगा।
4. विनिमय–कोष उत्सव हर वर्ष एक बार सम्पन्न होता रहेगा। **(अध्याय:9, पृष्ठ नंबर:210)**

- "विनिमय सुलभता" का तात्पर्य हर परिवार में से उत्पादित वस्तुओं को श्रम मूल्य के आधार पर दूसरे परिवारों के साथ लाभ–हानि मुक्त आदान–प्रदान से है ताकि हर परिवार को भौतिक समृद्धि का अनुभव हो सके। इस व्यवस्था में सम्पूर्ण विनिमय–प्रत्येक परिवार द्वारा किए गए श्रम नियोजन को, अन्य परिवारों में श्रम मूल्य के आधार पर आदान–प्रदान करने से है। इसके अनुसार प्रथम चरण में ग्राम के **विनिमय कोष** द्वारा, प्रत्येक परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन को, बाह्य बाजारों में विक्रय कर, वहाँ से गाँव के लिए आवश्यक वस्तुओं को क्रय कर, ग्राम वासियों को उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी व्यवस्था, क्रम से ग्राम समूह, क्षेत्र मण्डल, मंडल समूह, मुख्य राज्य, प्रधान राज्य और विश्व राज्य तक जुड़ारहेगा। यही विश्व शान्ति सहज सूत्र है। **(अध्याय:10, पृष्ठ नंबर:217–218)**

जीवन विद्या – एक परिचय

(संस्करण: 2010: मुद्रण: 2017)

- मानव अभी तक मूल्यों के पास गया ही नहीं। मूल्यों के पास गया होता तो मूल्य अभिव्यक्त होता, मूल्य प्रमाणित होता, मूल्यांकित होता और स्वाभाविक रूप में न्याय होता। न्यायालयों में फैसला होता है न्याय नहीं। इन फैसलों से एक पक्ष भयवश एक पक्ष प्रलोभनवश सहमत होता है। उभयतृप्ति इसमें कभी हुआ नहीं, हो ही नहीं सकता। न्याय को पाने में हम सर्वथा असमर्थ रहे हैं। उसके बावजूद भी विकास का दावा करते हैं। विकास का क्या अर्थ होता है आप ही सोच लीजिए। भय और प्रलोभन से हर मानव छूटना चाहता है ये नियति सहज है। इससे मानव का भी कल्याण है। नैसर्गिकता का भी कल्याण है। इस तरह प्रयोजन के आधार पर संबंध है। प्रयोजन समाधान, समृद्धि, अभय, सह–अस्तित्व है इसके लिए प्रक्रिया है व्यवस्था में जीना। व्यवस्था में जीने का मतलब है कि पाँचों आयामों में भागीदारी करना। पाँच आयाम है: 1.शिक्षा संस्कार, 2. न्याय– सुरक्षा, 3. स्वास्थ्य– संयम, 4. उत्पादन– कार्य, 5. **विनिमय– कोष**। **(अध्याय:3, पृष्ठ नंबर: 76–77)**
- हर अभिभावक अपने बच्चों को सिखाता ही है उसके बाद शिक्षण संस्थाओं में सिखाते हैं फिर राजगद्दी, धर्म गद्दी अपने ढंग से सिखाते हैं। इस शिक्षा से हम जो भी शिक्षा पाए उससे मानव बने नहीं है। अब विचार इतना ही है, प्रयत्न इतना ही है, प्रमाण इतना ही है कि हम मानव बन सकें। मानव परंपरा बन सकें। इससे फायदा होगा नैसर्गिकता का संतुलन और मानव में न्याय स्थापित हो जाएगा। न्यायपूर्वक व्यवस्था में जीना ही है। यह कौन सा बड़ा दुर्गम कार्य है? किंतु मानव को इसकी आवश्यकता महसूस होने की जरूरत है। अभी तक जो भी किए हैं संवेदना के आधार पर किए हैं। जिससे हमारी जरूरत पूरी होने वाली नहीं इसी से धरती बर्बाद हो गई आदमी तो बर्बाद है ही। इसीलिए आबाद होना है तो मानवीयता को पहचानना ही होगा। मानवीयतापूर्ण व्यवस्था में जीना होगा और उसकी निरंतरता की संभावना है। वर्तमान में मुद्दा है कि नैसर्गिकता के साथ अपराध रुक जाए। व्यवस्था का स्वरूप है:–

  1. शिक्षा संस्कार में भागीदारी 2. न्याय सुरक्षा में भागीदारी 3. उत्पादन कार्य में भागीदारी 4.**विनिमय कोष** में भागीदारी 5. स्वास्थ्य संयम में भागीदारी

  इन पाँचों आयामों में भागीदारी ही व्यवस्था में भागीदारी है। यह जागृति के बाद ऐसी व्यवस्था हर आदमी से उद्गमीत होती है, हर आदमी में प्रमाणित होती है। इस प्रकार सार संक्षेप में व्यवस्था की प्रस्तुति पूरी हुई। हर बुद्धिमान इसे स्वीकार सकता है। **(अध्याय:4, पृष्ठ नंबर: 100)**

विकल्प एवं अध्ययन बिन्दु

(संस्करण:2011,मुद्रण: 2016)

- (38) व्यवस्था सहज 5 आयामों का स्पष्ट बोध एवं हृदयंगम

  (1) शिक्षा–संस्कार व्यवस्था

  (2)न्याय–सुरक्षा व्यवस्था

  (3)उत्पादन–कार्य व्यवस्था

  (4)**विनिमय–कोष** व्यवस्था

  (5)स्वास्थ्य–संयम व्यवस्था **(अध्याय:, पृष्ठ नंबर:27–28)**

- (39) वर्तमान में उपयोगिता पूरकता सहज अनूकुल परिस्थितियाँ:–

  (1) मानवीय शिक्षा संस्कार सुलभता

  (2)न्याय सुरक्षा सुलभता

  (3)उत्पादन कार्य सुलभता

  (4)**विनिमय कोष सुलभता**

  (5)स्वास्थ्य, संयम सुलभता – सहज ज्ञान विज्ञान **(अध्याय:, पृष्ठ नंबर:28)**

- अस्तित्वमूलक मानव केंद्रित चिंतन पूर्वक सहअस्तित्ववादी व्यवस्था विधि से मोहल्ला, ग्राम, परिवार सभा

  दस परिवार समूह सभा में से निर्वाचित प्रतिनिधि

  दस जन प्रतिनिधि परिवार सभा से मनोनीत पाँच समितियाँ, यथा –

  (i) मानवीय शिक्षा–संस्कार समिति

  (ii) मानवीय न्याय–सुरक्षा समिति

  (iii) मानवीय उत्पादन–कार्य समिति

  (iv) मानवीय **विनिमय–कोष** समिति

  (v) मानवीय स्वास्थ्य–संयम समिति

  मोहल्ला, ग्राम परिवार सभा सहज प्रयोजनों के अर्थ में – और दस परिवार समूह सहज आवश्यकता के अनुसार समिति में कार्यरत व्यक्ति का दायित्व निश्चयन रहेगा **(अध्याय:, पृष्ठ नंबर:30–31)**

37. जागृति सहज मानव परंपरा :– समझदारी सहज सर्वतोमुखी समाधान के रुप में प्रमाणित करने का परंपरा। शिक्षा – संस्कार, न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य, **विनिमय कोष**, स्वास्थ्य संयम विधि से प्रमाण। **(अध्याय:, पृष्ठ नंबर:40)**

मानवीय आचरण सूत्र

(संस्करण: प्रथम, मुद्रण: 2003)

- 1.6 समझदारी पाँच प्रकार अर्थात् मानवीय शिक्षा–संस्कार, न्याय–सुरक्षा, उत्पादन–कार्य, **विनिमय–कोष**, स्वास्थ्य–संयम कार्य से – पहचान प्रकट रहता है। यह हर नर–नारियों में, से, के लिए मौलिक अधिकार व समाधान है। समझ न होने की स्थिति में भ्रम प्रवृत्तियाँ प्रभावकारी रहती हैं जो हर नर–नारियों में, से, के लिए समस्या, क्लेश, कष्ट के रूप में पाई जाती हैं। **(अध्याय:1, पृष्ठ नंबर:2)**

संवाद भाग १

(संस्करण: प्रथम, मुद्रण: 2011)

- "सार्वभौम व्यवस्था" में मानव के जीने के पाँच आयाम है:

  (1) शिक्षा –संस्कार

  (2)न्याय –सुरक्षा

  (3)स्वास्थ्य–संयम

  (4)उत्पादन –कार्य

  (5)**विनिमय –कोष**

  (अध्याय:, पृष्ठ नंबर: 247)

संवाद भाग २

(संस्करण:2013)

- **परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था**

  दस व्यक्तियों के समझदार परिवार में समाधान–समृद्धि का वैभव होता है। ऐसे दस समझदार परिवार एक–एक व्यक्ति को अपने में से निर्वाचित करते हैं, जो परिवार–समूह सभा को गठित करता है। ऐसे दसों व्यक्तियों का अधिकार समान होगा, उसका कोई एक मुखिया होगा ऐसा नहीं है। इन दसों परिवारों के जीने के पाँचों आयामों – शिक्षा–संस्कार कार्य, न्याय–सुरक्षा कार्य, स्वास्थ्य–संयम कार्य, उत्पादन कार्य, **विनिमय–कोष कार्य** – में जब भी कोई काम आया उसको पूरा करना, इनका काम रहेगा। जैसे सभी दस परिवार शिक्षा–संस्कार में पारंगत हैं या नहीं, उसमे जो कमी है उसको पूरा करना। सभी दस परिवार न्याय पूर्वक जी पा रहे हैं, यदि नहीं जी पा रहे हैं तो उसको पूरा करना। सभी दस परिवार उत्पादन कार्य में प्रवीण हैं या नहीं, आवश्यक उत्पादन कर पा रहे हैं या नहीं – इसका परिशीलन करना, और उसकी कमियों को पूरा करना। सभी स्वास्थ्य को लेकर स्वायत्त हैं या नहीं इसका परिशीलन करना और उसकी कमियों को पूरा करना। व्यवस्था के अर्थ में ही कमियों का आंकलन होता है, और उसको पूरा करने के लिए प्रयास होता है।

  इस तरह एक परिवार से एक परिवार–समूह तक पहुँचते हैं। ऐसे दस परिवार–समूह मिल कर एक ग्राम परिवार–सभा को तैयार करते हैं। ग्राम–परिवार सभा में भी यही पाँचों आयाम – शिक्षा–संस्कार, न्याय–सुरक्षा, स्वास्थ्य–संयम, उत्पादन, और विनिमय – काम करते हैं। इन सौ परिवारों के बीच ही **विनिमय–कोष** कार्य पूरा होता है, संतुलित होता है।

  इसके आगे ग्राम–समूह परिवार–सभा में दस ग्राम परिवार–सभाओं से एक–एक व्यक्ति निर्वाचित हो कर पहुँचते हैं। इस प्रकार उत्पादन के दस गावों तक पहुँचने की व्यवस्था बनती है। इस तरह हज़ार परिवारों के बीच संतुलन की व्यवस्था बनती है।

  इसके आगे दस ग्राम–समूह सभाओं से एक–एक व्यक्ति निर्वाचित हो कर मंडल परिवार–सभा तक पहुँचते हैं। इस तरह दस–हज़ार परिवारों के बीच पाँचों आयामों में संतुलन की व्यवस्था बनती है।

  इसके आगे दस मंडल–सभाओं से एक–एक व्यक्ति निर्वाचित हो कर मंडल–समूह परिवार–सभा तक पहुँचते हैं। दस मंडल–समूह परिवार सभा से एक–एक व्यक्ति निर्वाचित हो कर मुख्य–राज्य परिवार–सभा बनता है। इसी विधि से आगे प्रधान–राज्य परिवार सभा और विश्व परिवार–सभा के होने का प्रावधान है। इस तरह "दस सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था" का स्वरूप निकलता है – जिससे विश्व स्तर तक शिक्षा–संस्कार, न्याय–सुरक्षा, स्वास्थ्य–संयम, उत्पादन और **विनिमय–कोष कार्यों** को व्यवस्था के अर्थ में संपादित किया जाता है, उनमे कमियों को पूरा किया जाता है। व्यवस्था का काम यह है, न कि आदमी को फांसी पर लटकाना, बन्दूक दिखा कर बस में रखना। शक्ति केंद्रित शासन मानव को स्वीकार नहीं है। व्यवस्था ही मानव को स्वीकार होती है. सार्वभौम–व्यवस्था के लिए सह–अस्तित्ववादी ज्ञान, विवेक, विज्ञान में पारंगत होने की आवश्यकता बनती है।

पारंगत होने के लिए शिक्षा–विधि ही है। उसके लिए हम छत्तीसगढ़ में कुछ प्रयास कर रहे हैं, आगे चल कर सभी जगह पहुँचेंगे।

– श्री ए नागराज के जीवन–विद्या राष्ट्रीय सम्मलेन २०१० में उदबोधन पर आधारित
http://madhyasth-darshan.blogspot.com/2011/05/blog-post_03.html
(अध्याय:1.2, पृष्ठ नंबर: 37–39)

10 सोपानीय व्यवस्था के अंतर्गत विनिमय व्यवस्था

व्यवहारात्मक जनवाद (संस्करण: 2009, मुद्रण: 2017)

- **(तीसरा सोपान)** इस शोध के आधार पर मानवीय शिक्षा– संस्कार में पारंगत जैसे एक गॉव में प्राथमिक शिक्षा का आवश्यकता तो रहता ही है उसमें पारंगत रहेंगे। न्याय–सुरक्षा कार्य में पारंगत रहेंगे। उत्पादन–कार्य में पारंगत रहेंगे। विनिमय कार्य में पारंगत रहेंगे। स्वास्थ्य संयम कार्य में भी पारंगत रहेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य विधा में सभी पारंगत रहेंगे। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर: 113)**

  व्यवस्था की चौथी कड़ी हर परिवार में उत्पादन का एक **कोष** रहेगा। परिवार के उपयोग से अधिक जितने भी उत्पादन रहेंगे उनका विनिमय अड़ोंस–पड़ोंस में अर्थात ग्राम–समूह और ग्रामो में कर लेगी। इससे सामाग्री लाने और ले जाने की प्रक्रिया में काफी बचत हो जायेगी। जिससे ईंधन से लेकर श्रम तक, श्रम से लेकर यंत्रो तक बचत का प्रावधान है। इसे अच्छी तरह से समझदार परिवार का हर सदस्य समझ सकता है। परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन जितना भी रहेगा, वे सभी उत्पादनो को एक सम्मिलित **कोष** में एकत्रित किया जायेगा। यह **कोष** मूलत: वस्तुओं का ही **कोष** है। इसके साथ श्रम मूल्य का मूल्याँकन रहेगा। उसी के बराबर में हर गांव में कोषालयो के खाते में श्रम मूल्य के साथ प्रतीक मुद्रा का संख्या भी लिखकर रखी जायेगी। उसी के साथ हर परिवार को उसी ग्राम **कोष** से क्या–क्या वस्तुएँ समीचीन दिनो के लिए आवश्यक है वह सूची रहेगी। उसी **कोष** से अपेक्षित वस्तुओ को प्राप्त किया जायेगा। ग्राम **विनिमय कोष** से वस्तुएँ किसी दूसरे ग्राम **कोष** में जायेगी और दूसरी वाँछित वस्तुओं को लायेगी। तभी तक समीपस्थ बाजार में विक्रय कर आवश्यक वस्तुओ को क्रमवार लाने की व्यवस्था रहेगी। लाभ हानि मुक्त विधि से वस्तुओ को ग्राम के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था रहेगी। इसी **विनिमय कोष** के कार्यक्रम में सभी प्रकार की आहार संबंधी वस्तुएँ यथा सब्जी, दूध, अनाज वगैरह तो रहेगी ही; कलात्मक जितनी भी उपज है, कृषि औजार, भारवाहन का औजार, गृहनिर्माण में उपयोगी वस्तुएँ, अलंकार संबंधी सभी उपज को कोषालय में एकत्रित किया जायेगा। कोषालय से बाजार में दूसरा स्वराज्य कोषालय में ले जाने की, ले आने की व्यवस्था ग्राम स्वराज्य सभा में रहेगी। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर: 116)**
- **(चौथा सोपान)** तीसरी कड़ी में उत्पादन कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका है ही। परिवार समूह सभा में प्रौद्योगिकी के पक्ष में जितनी भी जानकारी चाहिये उन सब में पारंगत रहना आवश्यक है। ये दसों सदस्य ग्रामोद्योग, लघु उद्योग विधा में पारंगत रहेंगे। जैसे वन खनिज की संतुलित व्यवस्था है। वैसे ग्राम उद्योग विधा में उद्योगों को स्थापित करेगें। जैसे प$ढाई की सामग्री, अलंकार सम्बंधी सामग्री, गृह निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री, दूरगमन दूर दर्शन, दूरश्रवण सम्बंधी उपकरणों को निर्मित करने की व्यवस्था बनी रहेगी। ऐसा उत्पादन उन दस गाँव की आवश्यकता के अर्थ में रहेगा। इस उत्पादन कार्य में श्रम निवेश परस्पर दस गाँव के बीच ही बना रहेगा। इसका आदान प्रदान के लिए **विनिमय कोष** बनाना स्वाभाविक है। इस **विनिमय कोष** के साथ आदान–प्रदान का सम्बंध

बनाए रखेगी। स्वास्थ्य संयम पाँचवी कड़ी है इस कड़ी में ग्राम सभा में जिसका स्वास्थ सुधार नहीं हो सका ऐसे लोगो के साथ लिए स्वास्थ्य–संयम केन्द्र रहेगा। प्राद्योगिकी कार्य से जितनी भी समाज गति के लिए साधन उपलब्ध हुए रहते है इसे हम समृद्ध कर रहे है ऐसे समृद्ध **कोष** से स्वास्थ्य केन्द्र को सम्पन्न बनाए रखने का केन्द्र कार्य करेगा। इस प्रकार स्वास्थ्य केन्द्र के लिए साधन भरपूर रहेगा। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर:118–119)**

- **(पाँचवा सोपान)** बुनियादी तौर पर हर परिवार समझदार होने के आधार पर ही क्षेत्र परिवार सभा का वैभव भी प्रमाणित होने की संभावना बनी रहती है। हर मानव का उद्देश्य साम्य होने के आधार पर व्यवस्था सूत्र व्याख्या अपने आप स्पष्ट होती है। इसकी भी प्रथम कड़ी शिक्षा–संस्कार कार्यक्रम है। इन शिक्षा संस्कार कार्यो में यथावत एक विद्यालय रहेगा। इसके पहले की सीढ़ी में जो प्रौद्योगिकी बनी रहती है उसके योगदान पर उत्तर माध्यमिक शालाएँ और स्नातक शालाएँ क्रम विधि से कार्य करेगी। क्रम विधि का तात्पर्य हर इन्सान चाहे नारी हो, नर हो समझदार होने के लिए कार्य करेगा। समझदारी का किसी उँचाई इस क्षेत्र परिवार सभा के अन्तर्गत प्रमाणित होना स्वाभाविक है। ऐसे प्रमाण के लिए तमाम व्यक्ति प्रशिक्षित रहेंगे। इसी कारणवश स्नातक पूर्व और स्नातक विद्यालय किसी क्षेत्र सभा के अन्तर्गत संचालित रहेंगे। जिसमें मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद की रोशनी में ज्ञान, विज्ञान, विवेक सम्पन्न विधि से हर विद्यार्थी की मानसिकता में स्थापित करने का कार्य होगा। इसी क्रम में हर सभा के अधिकार में कुछ मझोले, बड़े प्रौद्योगिकी समायी रहेगी। इसके लिए बुनियादी रूप में आवश्यकीय सभी साधन क्षेत्र सभाओं के प्रौद्योगिकी सम्पदा से निर्मित किये रहेंगे। इस विधि से हर क्षेत्र परिवार सभा में मझोले और छोटे उद्योगो का उत्पादन प्रचुर होने की व्यवस्था रहेगी। प्रधानत: ये उद्योग आवास, अलंकार, दूरश्रवण, दूरदर्शन, दूरगमन सम्बंधी यंत्रो को बनाने के कार्य में प्रवृत्त होगा। **इसी सोपान में एक विनिमय कोष रहेगा जिसका सम्बंध इसके पहले के चारो सोपानों के विनिमय कोष से रहेगा।** (अध्याय:7, पृष्ठ नंबर:119–120)
- **(छठवाँ सोपान)** चौथी कड़ी में **विनिमय कोष** कार्य सम्पादित होगा। मंडल परिवार सभा **कोष** से ग्राम परिवार सभा **कोष** तक का सम्बंध यथावत बना रहेगा। इसी प्रकार दूर संचार विधि से सभी कड़ियो का सम्बंध एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। इसलिए सभी सोपान का अनुभव सुलभ रहता है। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर: 121)**
- **(सातवाँ सोपान)** चौथी कड़ी विनिमय कार्य के बाबत है। जो उत्पादन हुआ रहता है उसे **विनिमय कोष** में संग्रह किये रहेंगे। इसके बावजूद ग्राम परिवार सभा से सभी सोपानों में संचालित **विनिमय कोष** अनुबंधित रहेंगे। यह अनुबंधन अपने आप में सदा–सदा के लिए अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी के लिए प्रशस्त और अनुकूल होने के रूप में उत्पादन कार्य को साज सजावट गुणवत्ता से परिपूर्ण विपुल मात्रा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था किये रहेंगे। सभी सोपानों के श्रम मूल्य के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर वस्तु मूल्य, वस्तु मूल्य के आधार पर श्रम मूल्य का निर्धारण, मूल्यांकन, पहचान होता ही रहेगा इस विधि से श्रम मूल्य के आधार पर आदान प्रदान सुगम होना पाया जाता है। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर:123)**

- **आठवीं सोपान** में मुख्य राज्य सभा होगी। जिसके लिए मंडल समूह सभा से एक एक निर्वाचित सदस्य रहेंगे। जिनके आधार पर समूचे कार्यकलाप सम्पन्न होगे। जिसमें पहली कड़ी शिक्षा–संस्कार कार्य की गतिविधियों में सर्वोत्कृष्ट समाज गति, सर्वोत्कृष्ट उत्पादन कार्य, सर्वोत्कृष्ट न्याय–सुरक्षा कार्य, सर्वोत्कृष्ट उत्पादन कार्य, सर्वोत्कृष्ट **विनिमय कार्य गति** और सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य–संयम का शोध संयुक्त रूप में होता रहेगा। ये सभी सोपानीय परिवार सभाओं के लिए पे्ररणा के रूप में प्रस्तुत होती रहेगी। इस विधि से अपनी गरिमा सम्पन्न शिक्षण कार्य, कर्माभ्यास पूर्ण कार्यक्रम को सम्पन्न करता रहेगा। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर: 123–124)**

  चौथी कड़ी **विनिमय कोष** होगी इसका आदान–प्रदान विनिमय कार्य को मुख्य राज्य परिवार सभा सम्पन्न करेगी। इसमें सभी आदान–प्रदान व्यवस्था विनिमय प्रक्रिया में ही समाहित रहेगी। इसमें सन्तुष्टि बिन्दु यही है कि सर्वाधिक उत्पादन हो जो आवश्यकता से अधिक हो, आवश्यकता का आंकलन सभी सोपानीय व्यवस्था में संबंध अनुबंध से पहचानने की व्यवस्था रहेगी। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर: 124)**

- **(नौवाँ सोपान)** इस समिति की चौथी कड़ी **विनिमय कोष** रहेगी। **विनिमय कोष** के अधिकार सम्पूर्ण यंत्र उपकरणों का संग्रह उनका विधिवत विनिमय करने का अधिकार रहेगा। इसी **कोष** के चलते और प्रगतिशीलता को पहचानने की अनुसंधान, शोध अवश्य सम्पादित होती रहेगी। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर: 125)**

  (दसवीं सोपान) चौथी कड़ी **विनिमय कोष** है विश्व राज्य परिवार सभा में विनिमय के लिए कोई खास वस्तुएँ नहीं रह जाते है। आवश्यकता महसूस होने की स्थिति में विश्व मानव के लिए उपयोगी वस्तु को प्रस्तुत करेगा। इसकी सम्भावना दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण सम्बन्धी वस्तुओ में परिष्कृति और गति हो सकती है। विश्व मानव परिवार सभा की गरिमा के अनुसार ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा संतुलन सम्बन्धी औजारो के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्युत ऊर्जा, विकरणीय ऊर्जा यह दो प्रकार की ऊर्जाएँ अति महत्वपूर्ण है इनमें से विकरणीय ऊर्जा पर संतुलन का नजरिया विश्व मानव परिवार सभा में सुस्पष्ट रहने की आवश्यकता है। इसको कारगर बनाए रखना अर्थात सर्वसुलभ करने योग्य ज्ञान विवेक विज्ञान कर्माभ्यास सम्पन्नता को बनाए रखना है किसी भी सोपानीय आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा शिक्षण की कर्माभ्यास की व्यवस्था को बनाए रखेंगे। यही विनिमय का प्रधान स्वरूप रहेगा। यह विश्व मानव परिवार सभा का महिमा मंडित स्थितियो के लिए अनुकूल है। **(अध्याय:7, पृष्ठ नंबर: 128)**